SHRI SATYA PRAKASH MALAVI-YA: I fully associated myself with the special mention made by Mr. Narayan Ker and whatever Mr. Rao has stated. I was given about 150 applications by the people of Tripura, This is how democracy is being murdered there. A team of Parliamentary delegates who there were prevented and the police, unfortunately (Interruptions) were silent spectators. (Interruptions). This is a clear-cut case of murder of democracy. The delegation has also called on the Chief Minister and the tragic part of it is that no action has been taken by the Chief Minister. (Interruptions). Therefore Sir, I request you to direct the Government to make an investigation into this matter so that such things do not occur in future. After all, a Parliamentary delegation is going to perform its Parliamentary duties. Thank you.

DELHI RENT CONTROL (AMEND MENT) BILL, 1988—Contd.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh) : Sir, at the outset, I would like to briefly mention request the hon. Minister to view this legislation in the corrupt perspective. Let us not view the Delhi Rent Control legislation in isolation because there a periphery of other matters, affect the society. For example. there is definitely an increase in urban crime. There is this law and order problem. We have rents which have been escalated to phenomenal heights. We have created an artificial state of inflation as far rents are concerned. There is a failure of the urban master plan. There are so many factors like drought, famine, flood, etc, in the neighbouring States start a mass exodus from there to urban areas as a result of which the urban masfer plan fails. I speak personally, not so

much as a Member of Parliament, but as a member of the present Municipal Curporation. I am a sitting Municipal Corporator in my own urban area. Hence I have the privilege tf seeing two extremes of this country functioning simultane ously. I see the Parliamennt House where we pass legislations like this and I see the lack of implementation at the lower levels for whom we are supposed to be passing these.

At the outset, I want us to examine the basic reason why we have come into this. In the statement of objects and reasons, the first object given is "To rationalise the present rent control law by about a balance between the interests of land-lords and tenants". It is the moral responsibility of us as the Members of Rajya Sabha to be able to view objectively the needs, the necessities and the pros and cons of passing a legislation like this. When we talk of rationalising the present rent control law by bringing about a balance between the interests of landlords and tenants, the argument presented favour of the Amendment is that Rent Control Act is basically to protect the economically weaker sections of the society. Then, those tenants who afford to pay Rs. 3,500 per month do not need such protection. If the intention is not to protect the weaker of the society, then the Act should also not apply to any non-residential property. rented by a business-house or commercial establishment whether it is being used for commercial or residential purposes, as the tenants do not fall under the category of weaker sections of the society. As the hon. Minister knows, the present legisla tion allows, enables and is exploting, in a totally disproportionate, sense, what 18 happening in reality. We have roughly... 600,000 houses which are rentable out of which only 4,000 have centuls of Re 3,500 and above. Therefore, by this legislation we are covering only 1 per cent of the

[Smt. Renuka Chowdhury]

In terms tal housing accommodation. f cost economics passing a legislation ke this is just unwarranted because only per cent of the total housing accommoation comes under the purview of this egislation. We have to maintain palance between house-owners and tenints. Now, to give a boost to building activity and maintaining the existing houses in a reasonable state of repair: we have to face the reality of what the present situation is. Nobody wants to do house repair because the houseowner is insecure; the tenancy rights enable the tenant to sit tight and not vacate the house. We have a backlog of court cases which are pending, outstanding and choking the courts. Lok Adalats be brought in to help expedite disposal of tenancy disputes in a much easier manner. A man sweats life long and takes a loan and builds a house and rents it out because his is a transferable job. And when at the end of his service he comes back. goes into litigation and dies without ever getting his house back. Where does this leave us? Now, in terms of tenants rents are going up; there is a phenomenal increase in the rents. Residential areas are converted into commercial zones commercial activity is taking place there. Hence we are again not able to differentiate between residential and commercial tenants with the result all of them come under the purview of this Act. So would urge upon Government to take a clear view and draw a line between commercial tenants and residential tenants so that those who are not entitled to the protection of this Act do not come under the umbrella of the Tenancy Act; we can not allow that.

Now, to reduce litigation between tandlords and tenants and to ensure expeditious disposal of disputes between them. This aspect police are unable to handle. If you look through the police records,

half the FIRs contain petty cases of acts of nuisance that are taking place between house-owners and tenants, where houseowners and tenants are fighting for the premises under rent. This situation has given rise to urban crime, it has given rise to law and order problems whereby we are bringing about a breakdown the social structure and the sanctity the Constitution which gives a person constitutional rights to be able to walk safely in the street. At this point of time I would like to draw your attention that while we should ensure justice to landlords and tenants and maintain tranquillity in residential areas, no protection should be given to tenants who carry on commercial activities in their flats in residential areas. We must be able to demarcate specific residential zones wherein no commercial activity of any kind can take place and if any commercial activity is detected, then prosecution should be launched and the penalty prescribed should be much more deterrant than what we have now. The ferocity of the tenancy laws and the ability of the tenant or the owner to go to court are burdening our judicial system which already overburdened with a huge backlog of pending cases.

New constructions have been inhibited increasingly because of the heavy burden of property tax levied by the municipal authorities. The heavy property virtually frightens the owners. And repairs are not carried out because people are hoping that the old buildings crumble whereupon they will get their land back which will be very much enhanced in value. When a owner has rented out a house ten, fifteen, years ago does not want to repair the house and ignores the damaged condition, then the house proves hazardous. In the recent torrential rains in Delhi many houses, including DDA flats, have developed cracks and problems. There is, therefore.

urgent need for us to enforce higher standards of maintenance of all types of buildings. It has become imperative that the house-owners comply with the building construction rules and regulations. We must make the legislation a little more elastic so that it permits the owner to get back his rightful house and at the right time, not twenty years later on posthumously.

Then, Sir, there is an appeal which has been sent to Shri Jaswant Singh and I would like to take the liberty of reading it out to the House where from we will know that we have omitted the most important class, as I see it. This has been forwarded by the poor owners. poor house owners, agitated Government servants, widows, handicapped persons, etc. who seek protection under the Delhi Rent Control Act. I appreciate that the Ministry has taken into consideration ex-Servicemen and the honourable Minister also has had the vision to include ex-Servicemen. After he has served the country in a transferable job and in nonfamily stations, he comes back and he can get his life savings and buy a house for himself or get back his house with the least litigation. Now, in this, it is said that more than forty thousand cases are pending in the already burdened Delhi courts. A very large percentage of violent crimes in Delhi have often been traced to the strange relationship between the owners and the tenants. On this point. I would like to say here that women are subjected to these crimes more because the husband is away at his job and he is afraid of leaving his house vacant or renting it out and so, he leaves his wife and children behind who are harassed constantly. Either the owner harasses the tenant or the tenant harasses the owner. This kind of crimes and atrocities against women come under this umbrella and, paradoxically, the present

Act has become contater-productive. People prefer to keep their houses vacant and locked instead of taking the risk of renthis aggravates ting them out and the problem of housing shortage. In heavy response to the and constant demand from all sections of the society to scrap this, the Government yielded by appointing the Jha Committee to suggest ways and means for amending it. Sir. I request the Government: Do implement the Jha Commission Report, do implement the Charles Correa Commission Report in its true intent and purpose and not seek loopholes in that whereby we have tried the Delhi Rent Control Act in the restricted vision of the elections. Please do this. I have full faith in the honourable Minister and I think that she is going to do true justice to

Before I conclude, there is one more point which I would like to draw your While providing relief to attention to. the armed personnel and retired Government servants, we have neglected the interests of those who deserve such relief. I want to emphasise this and hence I am drawing your attention to this, the problem of the retired Government servants. widows and handicapped persons who are also owners. This enables the refired Government servants to get the back within one year. But it makes no such provision for other retired persons and leaves the much older and more helpless persons to fight it out in the courts which takes not years, but decades, for decisions. We also want the applicability of this amendment, as has been mentioned, if it is to be effective, in retrospect so that the people, who in the past have rented out their houses or who have occapied the houses for the past fifteen or twenty years, can also come under the umbrella of protection from you.

34 13mt. Rennka Chowdhury

Sir, I have full faith in the honourable Minister and I express my hope on the floor of this House that the Minister is going to do true justice. If you have the vision of solving any problem, do not take to cosmetic surgery, but try to set right the system that has been plaguing not only Delhi, but also the other urban areas. I wish this to be a model Rent Control Act so that the other metropolitan places can emulate it and take the right points from it and adopt them in the form. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI Н. HANUMANTHAPPA): Now. Mrs. Pratibha Singh.

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan) . Just one clarification. We are not breaking for lunch?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI II. HANUMANTHAPPA) · No. we are not breaking for lunch. Yes, Mrs. Pratibha Singh

ंश्रो<mark>मतो प्रतिभा सिंह (बिहार): उ</mark>प-सभाध्यक्ष महोदय, दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1988 जो माननीय सदन में आया है, उसका मैं समर्थन करती हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदथ, 1958 में एक वना था रेण्ट कंटोल का. जिसे 30 माल हो गए हैं और इस 30 साल में दिल्ली की मारी परि-बंदल गई, जनसंख्याः गई। इसलिए यह बहुत आवण्यक गंगा कि यह विश्रेयक लाया जाए और जैसा कि इस बिल पर बोलते हुए दूसरे मान-नीय सदस्यों ने भी बताया कि हजारों केसेज आज भी दिब्यनल में वेडिंग प्रके हैं। इस बिल को पास कराने का श्रेष मबसे ज्यादा हमारे प्रधान मंत्री जी

को .है और इसलिए जो मकान-मालिक हैं: उनके घर वालों की तरफ से, जो हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में है, मैं धन्यवाद देती हं। माथ ही मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देती हं कि उन्होंने महनत कर के यह विल यहां पास कराने के लिए लाए है यह बिल सिर्फ इसी सदन में नहीं बल्कि लोकसभा में लाया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही इसे प्रेमींडेंट महोदय की स्वीकृति भी मिल जाएगी।

उपसभाध्यक्ष महोदया. इस बिल के तीन उद्देश्य है : (1) मकान मालिक और फिरायेदारों के बीच संतुलन, (2) मकान निर्माण को बहावा देने के साथ-माथ उसकी उचित मरम्मत आदि की व्यवस्था करना तथा (3) मकान मालिक और किरायेदार के बीच के मकदमे उपसभाध्यक्ष महोदय, इसकी हटाना । कई समितियों. संस्थाओं और आगैनाइ-जेशन्स में जरूरत महसूस की गयी है। आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग ने 1982 में अपनी 11वीं रिपोर्ट में रेंट कंटोल एक्ट में मुधार की सिकारिश की है। राप्दीय णहरी आयोग ने भी 1987 में अपनी इंटरिम रिपोर्ट में रेंट कंट्रोल की आत्रश्यकता वतायी। उस ने स्पष्ट कहा कि लोग मकान बनाने के लिए प्रोत्साहिन नहीं हो रहे हैं और इस में हाता लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि दिल्ली किरागा नियन्त्रण कानुन इसमें बाधक है। मेरा खासकर यह कहता है कि धनी वां इसलिए मकान नहीं बता रहे हैं ताकि वे वैल्थ टैश्स से वच जाएं और दस-दस, पंद्रह-पंद्रह माल पहले हमारे लोगों के जो मकांत वने थे, डा मकानों में रह रहे हैं। महोदय, द्राज्य सभा की निटामन

कमेटी ने दिल्ली शहरी मकान मालिक कल्याण संस्था की पिटीशन पर गहराई से गौर कर के अपनी सिफाशि रेंट कंट्रोल एमेंडमेंट के लिए दी है। यहां तक कि दिल्ली में "सार्क" में भी जब हाउसिंग प्रोब्नम्स डिसकस हुई थीं तो उन्होंने भी विचार-विमर्श के दौरान यह सिफारिश की कि रेंट कंट्रोल जब तक नहीं होगा तव तक दिल्ली की हाउसिंग प्रोब्लम में कोई सूत्रार नहीं द्या सकता है। इसलिए ग्राज यह जी संशोधन सरकार लायी है इसके लिए वह धन्याद की पान है। महोदय, मैं मंत्री महोदय से श्रापके माध्यम से कहना चाहुंगी कि श्रापने 3500 की जो सीमा रखी है, तो क्या यह सोचा गया कि जो 3500 किराया देता है, उसका मासिक खर्च क्या होता है? किराये के बाद फिर तिजली का बिल. पानी का बिल, खाने पर खर्च और नौकरों पर खुर्च--यह सब मिलाकर 12-15 हजार से कम खर्च उसका नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि उनकी आमदनी 20 हजार से ऊपर होगी। जो लोग डिफेंस कालोनी, गोल्फ लिंक ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 और 2 में रह रहे हैं उनमें ज्यादातर मल्टीनेशनल्स के बडी-बडी कंपनीयों के लोग हैं, डाक्टर्स हैं जिनकी कि कमाई एक-डेढ़ लाख रुपये तक है या बड़े-बरे व्यापारी लोग हैं। उनके पास लीगल सेल हैं। लेकिन जो हमारा मकान मालिक है उसको एक तो मकान नहीं मिलता दूसरी तरफ उसके पास यह सारे इतजामत नहीं हैं। होता यह है कि कई-कई वर्षों तक उन्हें किरायेदारों से नियटने के लिए कोर्ट और कवहरी जाना पड़ता है जिसमें उनके दर्जनों जूते घिस जाते हैं। महोदय, झा.कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट 2465 RSS/88-19

में सीमा 1500 की निर्वारित की है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहती हं क्योंकि इस बारे में और भी सदस्यों ने कहा है क्योंकि मंहगाई ग्रधिक हो गयी है। इसलिए मेरा भुझाव है कि ग्राप साढ़े तीन से कुछ नीचे उतरें ढाई हजार दो या रुपये रखें ताकि सीमा দুভ लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। महोदय, मैं सरकार से यह भी जानना चाहंगी कि जो सीमा द्वारा संरक्षण के बाहर हैं, उनका मकान कितने दिन में खाली होगा। मैं तो कहती हं कि तीन महीने के नोटिस पर मकान खाली कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। भ्राप इस बिल या इसके बायलाज के द्वारा किरायानामा रजिस्टर्ड हो, इसकी जरूर व्यवस्था करें। यह मैं इसलिए कह रही हुं कि इससे ग्राज जो प्रिमायसेस का मिसयुज हो रहा है, वह घट जाएगा और वह मिस-यूज कैसे हो रहा है? क्योंकि रिहाइश के लिए धाप जब कोई भी डाक्यमैंट साइन किरायानामा करते हैं तो कम किराया होता है और रिहाइश के लिए लेकर उसमें भ्राप निसंग होम खोल दें या और कुछ खोल दें तो जाहिर है कि श्रापकी झामदनी में और मकान मालिक को जो किराया मिलता है उसमें कोई संतुलन नहीं है और भ्रापके डिपार्टमेंट को जानने का कोई तरीका नहीं है, वह कैसे जानेंगे कि किसका दोष है। इसलिए मिस-यूज के लिए ग्राप कोई भी पैनल्टी नहीं लगा

- 291

इसके उदाहरण में मैं कहंगी कि जैसे रिहाइश के लिए डाक्टर लोगों ने पोश कालोनियों में मकान ले लिए और उनमें नरिंग होम खोल दिए। क्या मंत्री महोदय जानती हैं कि पूरी दिल्ली में चार नरिंग होम हैं जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है ? लाइसेंस लेने का मतलब क्या है कि उनको भ्रयनी साल भर की मामदनी का कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ता है। तो वह सरकार को भी मार रहे हैं, क्योंकि उसे सरकार को कुछ नहीं देन। पड़ रहा है और मकान मालिक को भी मार रहे हैं क्योंकि उसको कर्माशयल युज के लिए जो किराया है वह नहीं देना पड़ रहा है और साथ ही साथ लिटिगेशन में भी तबाह कर रहे हैं। तो मैं भ्रापी यह गुजारिश कहंगी कि एक तो ग्राप डाक्मैंट को रिजस्टर करवाएं जो किरायानामा है और दूसरे जो पैनल्टी आप लगाते हैं वह हाऊस आवनर्ज पर न लगाकर के भ्रगर आप किराएदार पर लगाएं मिस-युज के लिए तो मिस-यूज अपने भ्राप खत्म हो जाएगा क्योंकि जब तक ग्राप मिस-यूज की कोई सजा नहीं देगे, मिस-यूज खतम नहीं होगा। इस पर झापको विशेष ध्यान देना चाहिए।

दूसरी चीज कि ग्रगर किराएदार-मकान मालिक किरायानामा लिखा है और उसका जितना समय है वह खतम हो जाता है तो मकान मालिक को यह ग्रधकार होना चाहिए कि ग्रागे वह रिन्यू न करे, वह उसकी मर्जी पर होना चाहिए। '' (समय की घंटी) हुजूर, दो चार बहुत जरूरी क्लाजिज हैं इसलिए पोड़ा समय और चाहती हूं। उपसभाष्यक (श्रो हेच हम्ममतप्या): जितना समय प्रापने मांगा था, उतना समय दिया है। जल्दी खतम की जिए।

(Amdt.) Bill, 1988

श्रीमती प्रतिमा सिंह: प्रगर किराए-दार मकान मालिक पर, जैसे मैंने कहा कि दोहरी मार नहीं पड़नी चाहिए और इसके बारे में हुजूर सुत्रीम कोर्ट ने एक-माध जजमेंट भी दिया है कि पैनलटी जो है यह किराएदार पर हो, तो इस लिए इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। इस खण्ड के संशोधन से किसी भी किराएदार को नुकसान होगा। नए मकानों को किराएदारी नियंत्रण कानुन से 10 साल की छुट दी गई। इससे मकान बनाने का इन्सेंटिव जरूर दिया है पर यहां पर यह भी देखा जाए कि रेन्ट फोजन नहीं हो, उसमें ढीलाहट न हो ताकि समय के अनुसार बढ़ सके। सरकार की सिन्सियरिटी तो जाहिर है और मैं समझती हं कि हाऊसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रापने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके एक हाङसिंग नैशनल बैंक की स्थापना की । इसी के साथ निवंदन है कि ग्राप इस बिल में प्राने जिल के मैक्शन 14 के एच का इस बिल के सैक्शन 8(1) में वर्ड बिल्ट को ओमिट कर रहे हैं, यह गलत है। उसे रहने दिया आए।

Existing Clause (R) of Section 5.14 provides that a tenant can be evicted when he has built or acquired vacant possession of a residence.

तो इसमें से आप जो बिल्ट हटा रहे हैं तो यह छूट नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिन्होंने मकान बना लिए हैं और वह किराए में रह रहे हैं और उनको छूट [J0 AUG. 1988]

मिल गई इस साल की : रकान मालिक हैं, जिन्होंने पह ानाया था, उस गरीब को व मारें। इसलिए मेरा आग्रह ह : बिल्ट शब्द को यहां भ्राप रहते . आपने सेक्शन-9 में सरकार की ब्र कसरीं, तया दिल्ली-प्रशासन के उनके रिश्तेवारों इत्यादि को हरों से छुटाने की सुविधा दी है र मेरा स्झाव है कि इसमें सभी ा हसर होते चाहिए नीचे के ावेस्ट लेवल के स्टेट लेवल के नी भी धाप लीजिए और जितमे िनेशन नहीं मालूम हो। रिटायर्ड ा निए ग्राप खुद हो एमेंडमैंट ले रिकन मेरा यहां पर कहना है वि वित्र-वाओं को जरूर जोड़ा ज ासके ा। है बारे में मैंने एक एमेंडमैंट और जिसको ग्राप लोग ⊬ीकार भी कर रहे हैं। क्योंकि ुालत बक्त खराब है। न वह ं रख सकती हैं न कोई और र - हैं। एक दिन पहले वह घर क होती है लेकिन विधवा होने प कोई पुछ नहीं होती। भगर उनके ं पति ने उनको मकान दिया है उनको स्विधा हो जाती है।

ु।यर्ड इसके साथ ही अपाहिज कर्मचारी, देश के स्वतंत्र ंियों को भी यह सुविधा मि ाहिए और एम.एलएज भी एम पी. भी यह सुविधा मिलनी चाहिए, भ्रचानक सरकारी मकान छो ा है, एक सीमित समय के अंदर 🦠 ंविधा मिलनी चाहिए। जहां -) स्कार किराएदार हो, वहां कौन स्पाय मकान खाली कराने के निए 🤄 πιψ,

. 4 .

यह भी व्यवस्था आप की जिए। जहां तक किराया बढ़ाने का ग्रिधकार है वह तो भ्राप महंगाई के रेशियो से जोड़ दें तो मेरे ख्याल से भच्छा होगा क्योंकि भ्रापने इसमें 10 परसेंट जो ऐक्चुअल कास्ट आप लेंड या कंस्ट्रक्शन है वह इसमें जोड़ा है। इसका हिसाब किताब मेनटेन करना मध्यम वर्ग के मालिक के लिए कठिन होता है। इसलिए उनको इजाजत दी जाए कि वे भ्रास-पास के कंस्ट्रक्शन कास्ट का हिसाब लगा कर फायदा उठा सकें।

15 परसेंट इंटरेस्ट जो किराया न देने पर श्रापने किया है उसके लिए द्रिब्युनल में हजारों बहुत धन्यवाद। मुकदमे पड़े हुए हैं। उनमें एक ही प्रपील हो सकती है। मेरा कहना है कि भाप समय सीमा निर्धारण करें, लेकिन जो भ्रापने यह कहा है कि एक ही भ्रपील हो सकती है, इसमें फैक्ट के प्वाइंट को भी श्राप जोड़ें क्योंकि फैक्टस के सवाल पर गलती हो सकती है। इसलिए उसकी भ्रपील करने की इजाजत फैक्टस सवाल पर भी मिलनी चाहिए। रॅंट कंदील की घारा 29 के मागे मपील नहीं है। किन्तु रेंट कंट्रोलर मकान की खराबी या ट्ट-फ्ट के लिए डेमेज दिला सकता है, इससे राहत मिलेगी। रिहाइश के लिए मकान खाली करने पर तीन साल के बीच किराया देने पर पैनल्टी रखी है जिससे गरीब किराएदारों को प्रोटेक्शन मिलती है, यह रोक इसलिए लगाई गई है कि मकान मालिक सिर्फ धपने रहुने के लिए दी मकान खाली करा सकता है। (समय की घंडी) '

िश्रीमती प्रतिभा सिंह]

इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हं और भाशा करती हं कि इसे इसी सेशन में लोकसभा में भी पारित कराकर सरकार कानून बनाकर लोगों को राहत दिलाएगी। इसमें लिखा है कि यह उस तारीख की प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित करें। इसकी जगह यह लिखा जाए कि यह कानुन बनने के साथ ही लागू होगा। इस पर मैंने संशोधन दिया है। संशोधन दिया है सेक्शन 2 को याती डिलीट की जिए या यह लिखें कि जैसे ही दोनों हाउसेज इसे पारित करें और प्रेसीडेंट का ऐस्सेंट इसे मिल जाए वैसे ही यह कानून मान लिया जाएगा। तो मैंने दो भ्रमेंडमेंट दिए हैं। एक विधवा मकान मालिक का ऑर दूसरा कानन तुरन्त पारित होकर लाग् होने का तो इसे तुरन्त लागू किया जाए ताकि जिनके लिए ग्राप यह बिल पाप्त कर रहे हैं उनको फायदा हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रापके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहती हं कि इस बिल के दो उद्देश्य हैं--एक तो धनो किराएदारों से मिडिल क्लास मकान मालिकों को राहत दिलाना तथा दूसरा रिहायश के लिए मकान खाली कराना। इसमें मेरे हिसाब से कोई कंटोवर्सी नहीं है। इसलिए मुझे यही कहना है कि जैसे ही इस बिल को लोकसभा से भी इसी सेशन में पारित कराएं, इसे लागू कराएं ताकि जिनकी भ्राप मदद करना चाहते हैं, उनको हकीकत में मदद मिले भौर उनके परिवार के लोग ग्राप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे । साथ ही विधवा मकान मालिकन को सूविधा देने और उनको कानून में स्थान देने के लिए धन्यवाद ।

SHRI JASWANT SINGH: Mr. Vice-Chairman, Sir, we can examine the rele vance and the effectiveness of this particular piece of legaislation only against two criteria. The first is the stated aims and objectives of the Government in brining this piece of legislation, and the second, is the obvious eough chaos, that is the urban scene, in the country. Now, this particular piece of legislation brought forward by the Government belatedly, however inadequately, nevertheless, for whatever it is worth, it is still welcome.

The objectives to put them very briefly are firstly, to rationalise rent control, secondly to boost house building activity and, thirdly, to reduce litigation related to rent control. I would be coming examining each of these propositions in a moment. So far as the urban scene is concerned, I received, a note from a very Indian for which I am grateful and it would do well if I just quote a few short excerpts from that note which defines the current scene in the country. Of course, a major area of bungling, as has been stated in this note, is the mishandling of the rent control law, as a result of which the small house owners and tenants suffer and it has become impossible to find accommodation anywhere, since the house owners prefer to keep their premises vacant rather than letting them out, a point which has been made by many other speakers also. While the affluent tenants live merrily protected by frozen rentals, others, whom we mis-call landlords, they should really be called house owners, they are the ones who suffer, because the word 'landlord' suggests some kind of 'landlordness, and, therefore, I shall be grateful if the hon. Minister listens to the point that I am making.

کر کے آپ اس او قاف کو اس سے باہر نکال دیجئر تاکه جو وقف کی براپرٹی ہے۔ وہ نکل سکے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر لوگونکی بھلائی کے کام کرے۔ میں نے یہی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ھیں۔ میں نروڈوز کے بارےمیں امنڈمنٹ دیا تها اور اس پر پرتبها سنگه بهی بولیں۔ انھوں نیر ایم ییز اور ایم ایل ایز کے بارے میں بھی بولا۔ ہم لوگوں کی اور هماری بهی وهی حالت هوگی۔ ميرا تو كوئي مكان هے هي نمين-میرے هسبند کا ہے۔ جب تک میں انکی بیوی هون تب نک میرا ہے اور بعد میں پتد نہیں میراکیا ہوگا۔ مگر ماننیرورد دلی میں نو میرا کوئی مکان ہے ہی نہیں۔ سیرا اس سے کوئی زاتی تعلق نہیں ہے ایگن جن لوگوںکے مکان هیں وہ ایم۔ پی۔ هیں۔ جب تک وہ ایم۔ بی۔ رہتے ہیں تب تک انکے پاس سر کاری مکان رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ ایم۔ پی نہیں رہینگے تو وہ کدھو حائینگر۔ ایک هماری ایم۔ پی۔ هیں اس هاؤس کی پته نہیں انکا نام مجھے لینا چاهیئے یا نہیں۔ وہ کل می که رهی تھیں کہ انکا مکان کتنے کم کرائے پر قبضه کرکے رکھا ہوا ہے۔ اور وہ خالی بھی نہیں کرتے عیں۔ وہ سوچتی ہیں كهاكر جبكبهي اليكشن هوتا هے اور الیکشن کے بعد کہیں انہیں پارلیمنٹ کی

ممبر شب سے جانا پٹرتا ہے تو اسکے بعد ان کو سرچھہانے کیلئے بھی کوئی حکہ نہیں ہوگی۔ تیسری بات مائنر چلڈرنکی بات میں کہ رہی تھی. . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI HANUMANTHAPPA) : Last Point.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA This is the last point. Also, I am not a miner child; I do not come under that caegtory. But I am speaking for minor children.

ان کے ائے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے ہجر مائنر ہوتر ہیں تو انکا توكوني سوال هي نهين هونا كه كمين سے کوئی آمدنی ہو اور ماں باپ انكر لئر اتنا اثاثه چهور كر جاتے هيں تاکہ مرزر کے بعد وہ ان کے کسی کام آئر 'یکن وہ دوسرے لوگوں کے قبضہ میں رہتا ہے جہاں تک سرکاری کر مجاریوں كاسوال هے جاهے وہ راجيه سركاريا کیندریه سرکار کے هوں۔ آب ضرور انیهی اسکے اندر لیکر آئے ہیں ۔ اس کے لئر میں مبارکباد دیتی ہوں۔ لیکن حونوکر کام کرنے والر ہوتر میں کوئی پرائویٹ سیکٹر میں بھی کام کرتر ھیں ان کوبھی مکان کمپنیکی طرفسے ملتا ہے۔کیا وجہ ہے کہ ہم ڈسکرمیئشن ایکٹ سروس سے دوسری سروس میں کرتر هیں۔ اگر هم ڈسکرمیششن کرینگے تو اوگ کھیں **گر** کہ سرکار صرف سرکاری نوکروں کے

دی ہے۔ مسجد کیلئے کے فنڈس کیائے دے دی ہے ۔ مندر کیلئر دے دی ھے یا اس طرح سے بہت سی ایسی مدد کیلئر انہوں نے اپنی پراپرٹی وقف کردی ہے۔ آج لاکھوں کروڑوں کی یراپرٹی سلم وقف کی ہے۔ اسکر بارے میں مجھر معلوم ہے کیونکہ حب وقف ادنڈمینٹ کے او پر کمیٹی بنی تھی اسمبن میں نرکام کیا ہے ۔ ''وقت کی گھنٹے'' اسمبن لاکھوں کروڑوں کی ہراہرٹی رینٹ پر دى هوئى هــاور اتنا نامنل رينك هـ حتنا نامنل که آب سعهر نائم دے رہے میں۔ اسمیں مشکل سے حتا پیسه ملتا ہے اس سے وہ پراپرٹی ریپیئر بھی نہیں ہو سکتی ھے ۔ رینٹ کنٹرول اورڈینیس کا بہانہ لیکر لوگ اس پر قبضه کرکے بیٹھ حاتر هیں اور وہ پراپرٹی جس سے کہ عام لوگوں کو فائدہ ہوسکتا تھا ۔ حو عوام کی حنتا کی ملائی کیلئر کسی نر ابنر بعوں کا – اپنا حق مار کر یا اپنراو پر تکلیف اٹھاکر ہیسہ جمع کرکے بنا کر دبی تھی وہ لاکھوں کروڑوں کی پروپرٹی آج چند ٹکوں کے لئے دی ہوئی ہے اور اسمیں کچھ بھی کاروائی نہیں کر سكتر هين هماري ج سوشل ويلفيش منترى ہے وہ بھی اس بارے مین سوچ رھی تھیں جب همارا ألسكشن هو رها تها تو هماری سرکار کے سامنے یه بہت هی

دیت بسنه گزارش کرونگی که مهربانی

ورنہ یہ کبھی پتہ نہیں لگے گاکہ کب سے کرایہ نڑھانا ہے کب سے نہیں بڑھانا ہے اس پر آج جتنے لٹیگیشنس سرکار کے کورٹس کے سامنے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس سلسلے میں آجائینگے

دوسرا محسنه جی یه آپ نے ۱۹۸۸ سے شروع کیا ہے ۔ آپ نے ۱۰ سال کی دی ہے۔ لبکن اگر کسی کا مکان ۱۰ سال بہلے سے ایا ہوا ہے اور اس نے بھی ۱۰ ۔ ۲۰ سال پہلے سے بنا کر رکھا ہوا ہے تو ان او گوں کو اس ودھے یک سے کوئی فائدہ نہیں ہے ۔ میں آپ سے یہ ونتی کرونگی که آپ اس بارے میں یم غور کریں کیونکه جن لوگوں نے پہلے سے بناکر رکھا ہوا ہے وہ آج سے ۱۰ سے بناکر رکھا ہوا ہے وہ آج سے ۱۰ سال پہلے تک اور آرام سے رہینگے اور سال نہیں کرینگے۔

میں اس سے ایک خاص بات اوقاف پراپرٹی کے بارے میں آپ کے سامنے لانا چاھونگی جو ہزاروں لاکھون کی پراپرٹی ہے اور بہت کم رینٹ پر گئی ہوئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی پراپرٹی یا اپنا مکان جائداد اسلئر وقف کرتا ہے تاکہ اس سے کچھ آمدنی ھو وہ لوگوں کے فائدے کیلئے بھی استعمال کی جائے ۔ ذاتی فائدے کیلئے بھی نہیں ہو۔ جو فلیننجا پسٹ لوگ ھیں انہوں نے مدرسہ چلانے کیلئے دراپرٹی

ٹیکسیز وغیرہ ہونگے وہ ٹینینٹ کر دھنے پڑینگے چونکہ اب یہ مکان مالک کے زمہ ہوگئے ہیں اسلئے مجھے لگتا ہے کہ . اپرسینٹ کچھ زیادہ فری بل نہیں لگتا ہے ۔ کوئی بھی انسان اپنا پیسہ کسی چیز میں اسلئے لگاتا ہے کہ اسکو آمدنی ہو ۔

کوئسی ہبلک سروس کیلئے مکان بناکر نہیں رکھتا ہے۔ وہ کرائے پر اسلئے دیتا هے کہ اسکو آمدنی ہو اگر اسکو انویستمینٹ بر ۱۰ پرسینٹ بھی نہیں مار کون ہوگا جو نین چار پرسینٹ کیلئے اپنا مکان بنا کر کرائے پر دیگا حبکہ بینکوں کے اندر یا پہلک سیکٹر کے اندر انویسٹ کر کے اسکو ، رسے ١٩ برسينٽ ک رڻرن هونا هے۔ اسلئر میں جاہونگی یہ ہو اگر محسنہ جی اورسرکار یه جاهتی هے که هاؤسنگ ایکٹی وٹی بڑھے۔ جو ہمارے دیش کے ا أندر ایک طوح سے فینامنل طوبقے سے رینٹ بڑھا ہے وہ عاؤسنگ کی شارٹیج هونر کی وجد سر بونها ہے۔آپ اسكى ايسمى سيما ركنيئر تاكه لوگ مکانوں کے اند پیسہ لگائیں اور انکو برابر کا وٹرن ملر۔ است سے لوگ ایسے ہوتے جو اپنے سے کو کسی دوسری جگه پر نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سے اوگ اس بات کو نہین جاهتے هيں كه سنك سے الكو الثريسك

ملروه اسكو غلط مانتر هين- كعبه سیکٹ ہیں خاص طور کے مسلم لوگوں میں۔ یه گهر بنا دیتر هیں انکے کرائر سے انکو آمدنی ہوتی ہے۔ اگر انهیں اسکا رارن نمیں ملرگا تو اس طریقے سے بلڈنگ کے اندر لگائیں گر۔ کیونکہ انکا مکان ہمیشہ کیلئر دوسر سے کے نام لگھ گیا اور بیکار عمی ہو گیا۔ اس کلاز کے اوپر میں یہ کہنا جاہونگی کہ پردھان منتری جی نے ایک چارلس کوریا کمیشن بنائبی تھی۔ اس کمیشن نر سحیشن دیا تھاکہ انفلیشن کے لحاظ سے کرائر میں بڑھوتری ھوسی چاھٹر۔ آج مكان بنانا كتنا مهنكا هو گيا هـــ سیمینٹ سہنگی ہے۔ لکڑی سہنگی ہے۔ دوسريي سامگري سهنگئي هو گئي هے. مکان بنانے کیلئے زمینوں کے بھاؤ بر حد بڑھ گئر ھیں۔ سرکار کوئی زمین ليتي هے اور لي۔ لي۔ اے۔ وغيرہ کي طرف سے مکان بنانر والیوں کو دیت<u>ی ہے</u>۔ تو انکے ریٹس بڑھ گئے ھیں ۔ اس لحاظ سے اور روپٹر کے انفلیشن ڈو دیکھکر کرائے بڑھنے چاہیئے ۔ اور دوسرا چارلس کمیٹی نیر سجیشن دیا نها وہ نها که ١٠٠١ کي انہوں نے کٹ آوٹ ڈیٹ دی نھی۔ اسلئے اگر سرکار کوئی سیما مقرر کردیے کہ کہاں سے ، ۱ روسینٹ بڑھایا جائیگا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادہ اچھا ہے

اسٹیٹس میں بول رہے ہیں ہم اپنی اپنی اسٹیٹس کو رپرزینٹ کرتر ھیں جر یہ ودهربک رینٹ کنٹرول کا آیا ہے تو محسنه جي اپنرآفيسيز كا استعمال كركے اپنا چارمـ انفلیوینس اور واثر لینس اگر کر مکیں جسکی مجھر امید نہیں ۔ یہ ھمارے شہر کے اویر بھی لاگو کرنر کی کوشش کریں - کیونکه بمبئی میں یه حالت ہے کہ لوگ پرانی بلڈنگوں میں رهتے هیں اور بهت کم کرایه دیتر هیں۔ هاؤسبز کی شارئیج ہے۔ چاہے وہ بلڈنگ گر جائر ـ سر جائين مگر گهر نبهن چھوڑتر ہیں – جو مکان مالک ہے وہ اسكى رہيئر نہيں كر سكتا ہے كيونكه اسکاکرابہ اتناکہ ہے کہ اسکی ربیئر کرنا تو دور رها اس کرائر کو وصول كرنركبلئر كوئي نوكر بهي نهين ركه سکتا ہے جس سے وہ اس مکان کا کرایہ وصول کر سکے - وہاں جو بہلے ليبز لائيسنس كاطريقه تها جسكر ذريعر كنثريكك كرنر تهر كه وه ا ا ماینے کے بعد اسکو دوبارہ لے ليتر تهر وه طريقه بهي اب ختم كر دیا گیا ہے ۔ اس سے ان لوگوں کی مشكلين بڑھ گئى هيں - يہاں ميں چند باتیں ہاؤسنگ کے بارے میں کہنا جاهونگی اور اس پر کافی سب لوگو**ں** نے بولا ہے – میں پچھلے سال ترکی گئی تھی وہاں میں نے دیکھا کہ انھوں نے

هاؤسٹگ کی سمسیا کو کافی حد تک حل کر لیا ہے ۔ وہاں ایک ایسا فنڈ بنایا گیا ہے ہاؤسنگ ڈبونیمنٹ فنڈ جسکے ذریعے سے لوگ اس میں پیسہ جمع کرتے ہیں ۔ اس میں بینک کی طرف سے لون ملتا ہے ۔ اور اس سے وہاں انھوں نے اپنی ہاؤسنگ کی سمسیا کو كافي سدهار كرليا هے - سين محسنه جي سے کہنا جاہونگی کہ جیسر ترکی کے اندر اس سمسيا كا حل كيا گيا هے وه اپنر دیش میں بھی به دیکھیں که کس طرح سے انہوں نے بڑھایا ہے اور اسکے مطابق یہاں پر بھی کوشش کریں ۔ یہ جو ... ه رو پئے کا معاملہ ہے یہ کافی لوگوں نر اٹھایا ہے۔ جہا کہشن کی رپورځ تهي وه ه ۱ سوروينځ کې څيميس په نہیں کہونگل کہ ہے سوھی رکھر جائیں مگر کوئی ایسی سیما نکالیں جس سے عام لو گوں کو جو مدھیم استر کے او گ ھیں انکی ہاؤسنگ کی سمسیا دور ہو اور یہ صرف بڑے آدمیوں کیلئے نہیں ہو۔ مگر مجھر يقبن هے كه دهلي رينك کنٹرول ایکٹ بننر کے بعد بہت سے ایسے سکان جنکے کرائے بڑھ جائیں گے وہ اس سیما کے اندر آسکیں گر ۔ محسنه جی نیر جو ساڑھر سات سے دس پرسینٹ کیا ہے تو یہ جھا کہیشن نے ، ۱ ہرسینٹ كاسجيشن ديا تها وه صرف اسلئر ديا تها که جوکچھ خرچ ہوگا رپیشر کا اور جو

†[ڈاکٹر (شریمتی نجمہ ہیبت اللہ (سهاراششر): اپ سبها پتی مهودیه -میں اس بل کا سرتھن کرنرکیلئے کہڑی هوئی هوں _ مهودیه _ میں محسنه حي كو اس بات كي بدهائي ديتي هوں جو وہ هزاروں مضيبتوں کے بعد بھی اس بل کو سدن کے سامنر لائی هیں -بہت دنوں سے اس بات کی چرچا تھی کہ دھلی رینٹ کنٹرول کے اوپر کوئی سنشودهن سرکار سدن کے سامنر رکھنر والي هے ـ ميرا بھي ايک بل تھا ـ جو میں نے دو تین سال پہلے پیش کیا ،ھا مگر وه لیبس هو گیا کیونکه اس وقت میں اس کرسی پر جس پر آپ بیٹھی هوئی هیں الیکٹ هو گئی تھی – اسکی وجه سے یه بل لیس هو کیا تها- لیکن آج اس بل پربعث کرنے کا موقع ہم کو ملا ہے۔ مہودیہ میراکمنا ہے کہ تین چیزوں کی انساد کو اپنی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے ۔ روٹی کپڑا اور مکان اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر روٹی اور کہڑا مل جائے اور اسکے سر پر چهت نمين هو نو اسكے لئے دونوں جیزیں بیکار ہوجاتی ہیں – جو تین اہم جیزیں انسان کی زندگی میں هیں انکے لئے جو کچھ ہماری سرکارکر رہی ہے اور یونائٹڈ نیشنس نے بھی جو ایک سیما مقررکی تھی کہ ہر ایک کو گھر ملنا 🕝

چاهئر تو اسکر انترگت یه جو سنشودهن لائے ھین اس سے مجھر لگتا ہے کہ جو محسنه جي نركها بلأنگ ايكش رئس پڑھے ۔ لوگ گھر زیادہ بنائیں اور جو آپس میں ٹینینٹس اور ہاؤس اونرس کے بيج ميں من مثاؤ هونا هے وہ دورهو جائیں - همارے مانئے سدسیئے جسونت سنگه جی نر کمها لینڈلارڈ کی بات پر میں بھی آبجکشن کرونگی ۔ مانئرور ۔ لارد توبهال سے جلے گئے آجسے . س-۱س سال پہلر ۔ اب تو لارڈ رھے نہیں اور لینڈ ہے وہ دوسروں کے قبضے میں ہے يمان سوال كرنا جبكه ند لينده نه لارد يه كجيه عجيب سا لكتا هے -- مس محسنه جی سے کہونگی کہ لینڈ لارڈ شبد کو وہ هنادین اور لارڈ کا زمانہ اب جلا گیا ھے اب تو سب بیجارے غریب لوگ رہ گئے هیں اس دیش کے اندر ۔ دوسرا میں ایک اہم مدءا آپ کے سامنر رکھنا چاهتی هوں - میں بمبئی سے آنی هوں جہاں ہر ہاؤسنگ کی سب سے زیادہ سمسیا ہے۔ دھلی اور بمبئی کے اندر هاؤسنگ کی مشکلیں عین - میں یه امید کرونگی که هم یه ایک ایسا کاپری هینسیو بل لائیں جس سے ساری دنیا میں مثال قائم هو اور خاص طور پر بمبئي اور دھلی بیسے شہر کے اندر اس طرح سنشودهن لائيں - سين سركار سے نويدن كرونگى كه كيونكه هم كاؤنسل آف

[†] Translitration in Arabic Script.

अमें इमेंट दिया है और इस पर प्रतिना सिंह जी भी बोली। उन्होंने एम.पी. और एम.एल.ए. के बारे में भी बोला। हम लोगों की और हमारी भी वही हालत होगी। मेरा तो कोई मकान है ही नहीं, मेरे हसबैंड का है। जब तक मैं उनकी बीवी हं तब तक मेरा है और बाद में पता नहीं मेरा क्या होगा। मगर मान्य-वर, दिल्लो में तो मेरा कोई मकान है ही नहीं। मेरा इससे कोई जाति ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिन लोगों के मकान हैं वे एम.पी. हैं। जब तक वे एम.पी. रहते हैं तब तक उनके पास सरकारी मकान रहते है लेकिन जब वे एम.पी. नहीं रहेंगे तो वे किश्वर जायेंगे ? एक हमारी एम.पी. हैं इस हाऊस की, पता नहीं उनका नाम मुझे लेना चाहिए या नहीं, वह कल ही कह रही थीं कि उनका मकान कितने कम किराये पर कब्जा करके रखा हुआ है और वह खाली नहीं करते हैं। वह सोचती हैं कि अगर जब कभी इलैक्शन होता है और इलैक्शन के बाद अगर कहीं उन्हें पालियामेंट की मैंबरशिप से जाना पड़ता है तो उसके बाद उसको सिर छिपाने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। तीसरी बात, माइनर चिल्ड्न की वात मैं कह रही थी THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Last point.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: This is the last point. Also, I am not a minor child; I do not come under that category. But I am speaking for minor children.

उनके लिए भी ग्रगर ग्राप देखें कि भ्रगर किसी के बच्चे माइनर होते हैं तो उनका तो कोई सवाल ही नहीं होता कि कही से कोई मामदनी हो और मां-बाप उनके लिए इसीलिए असोसा छोड कर जाते हैं ताकि मरने के बाद वह उनके किसी काम म्राए, लेकिन वह दूसरे लोगों <mark>के कब्जे</mark> में रहता है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है चाहे वे राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के हों प्राप जरूर उन्हें इसके अन्दर लेकर आए हैं।

उस के लिए मैं मुबारकवाद देती हं। लेकिन जो नौकर काम करने वाले होते हैं, कोई प्राईवेट सैक्टर में भी काम करते हैं उन को भी मकान कंपनी की तरफ से मिलता है। क्या वजह है कि हम डिस-किमिनेशन एक सर्विस से दूसरी सर्विस में करते हैं ? ग्रगर हम यह डिलिकिमिनेशन करेंगे तो लोग कहेंगे कि सरकार निर्क सरकारी नौकरों के बारे में सोचती है और दूसरी एम्प्पलाईज के बारे में नहीं मोन ही जो कि प्राईवेट सैक्टर या भ्रन्य जगतों पर नौकरी करते हैं। तो मैं यह साबती हू कि जिस शक्स के पास महान नहीं है, चाहे वह सरकारी मुलाजिम हो, चाहे यह प्राईवेट सैक्टर का मुलाजिम हो, चाहे किधर भी नौकर नहीं हो, उसकों भ्रयमी जरूरत के लिए मकान जो है वह उस को भ्रवश्य भिलना चाहिए।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं मोहसिका जी को एक बार फिर मुवारकवाद देती हूं और वह जो यह बिन लाई है कृपया इसको आप लोक सभा में भी पत्स करका दीजिए और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट भी करवा दीजिए तभी मुझे लगता है कि यकीनन इस का उद्देश्य पूर्ण होगा। र्थैंक यू।

श्री राम भवधेश सिंह (बिहार) : संशोधन के साथ?

डा. (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : हां, हमारे संशोधन के साथ इनको यास करवा दीजिए।

[डा॰ (श्रीमिति) नाजमां हैपतुल्ला]
का इन्पलेणन देखकर किराये वड़ने चाहिए
और दूसरा जो चार्ल्म कोरिया कमेटी ने
सजेशन दिया था वह या कि 1-1-87
की उन्होंने कट आउट डेट दी थी।
इसलिए अगर सरकार कोई मीमा मुकर्रर
कर दे कि कहां से 10 परसेंट बढ़ाया
जायेगा तो मैं समझती हूं कि यह ज्यादा
अच्छा है वरना यह कभी पता नहीं
लगेगा कि कब से किराया बढ़ाना है
कब से नहीं बढ़ाना है। इस पर आज
जितने लिटीगेशंस सरकार के कोर्टस के
सामने है उससे कही ज्यादा इस सिलसिले

दूसरा, मोहसिना जी यह आपने 1988 से गुरू किया है। आपने 10 साल की छूट दे दी है। लेकिन अगर किसी का मकान 10 साल पहले से लिया हुआ है और उसने भी 10-20 साल पहले से बनाकर रखा हुआ है तो उन लोगों को इस विधेयक से कोई फाअदा नहीं है। मैं आपसे यह विनती कहंगी कि आप इस बारे में गौर करें क्योंकि जिन लोगों ने पहले से बनाकर रखा हुआ है वे आज से 10 साल तक और आराम से रहेंगे तथा मकान खाली नहीं परेंगे।

मैं इसमें एक खास बान औकाफ प्रापर्टी के वारे में आपके सामने लाना चाहूंगी जो हजारों और लाखों की प्रापर्टी है और बहुत ही कम रेंट पर गयी हुई है। आपको मालूम है कि कोई मो शख्स अपनी प्रापर्टी या अपना मकान जायदाद इसलिए वक्फ करता है ताकि उससे कुछ आमदनी हो और वह लोगों के फायदे के लिए भी इस्तेमाल की जाये, जाती फायदे के लिए नहीं हो। जो

किमेंग्यापिस्ट सोग हैं उन्होंने मदरसा चलाने के लिए प्रापर्टी दी है, मस्जिद के फण्ड्स के लिए दे दी है, मन्दिर के लिए दे दी है था इनो तरह से बरुत से ऐसी मदद के लिए उन्होंने अपनी प्रापर्टी वक्फ कर दी है। आज लाखों करोड़ों की प्रापर्टी मुस्लिम वक्फ की है। इसके वारे में मुझे मालूम है क्योंकि जो वक्फ अमें डमेंट के ऊपर कमेटी बनी थी उसमें मैंने काम किया है (समय की घंटी) उसमें लाखों करोड़ों की प्रापर्टी रेंट पर दी हुई है और इतना नामिनल रेंट है जितना नामिनल कि आप मझे टाइम दे रहे हैं। उसमें मश्किल से जितना पैसा मिलता है उससे वह प्रापर्टी रिपेयर भी नहीं हो समती है। रेंट कंट्रोल और टेनेंमी का बहाना लेकर लोग उस पर कब्जा करके वैठे हैं और वह प्रापर्टी जिससे कि आम नोगों का फायदा हो सकता था जो अवाम की, जनता की भलाई के लिए किसी ने अपने वच्चों का, अपना हक मारकर या अपने ऊपर तकलीफ उठाहर पैसा जमा करके बना कर दी थी वह लाखों करोड़ों की प्रापर्टी आज चंद टकों के लिए दबी हुई है और इसमें हम कु अभी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। हमारी जो सोशल वेल्फेथर मंत्री हैं वे भो इस बारे में सोच रही थी जब हमारा डिसकग्रन हो रहा था। तो मैं सरकार के सामने यह बहुत ही दस्तवस्ती गुजारिश करूंगी कि मेहरबानी करके आप इस औकाफ को इससे बाहर निकाल दीजिए ताकि जो प्रापर्टी है वह निकल सके और अपने पाव पर खड़ा होकर लोगों की भलाई का काम करें। मैंते यही चंद बातें आपके साम रखी है। मैने विश्वोज के बारे में Delhi. Rent. Control

की समस्या का काफी सुधार कर लिया है। मैं मोहसिना जी से कहना चाहंगी कि जैसे टर्की के अन्दर इस समस्या का हल किया गया है वे भ्रपने देश में भी यह देखें कि किस तरह से उन्होंने बढ़ाया है और उसके भ्रनुसार यहां पर भी कोशिश करे। यह जो 3500 रुपये का मामला है यह काफी लोगों ने उठाया है। झा कमीशन की रिपोर्ट थी वह 15 सौ रुपये की थी मैं यह नहीं कहंगी कि 15 सौ ही रखी जाए मगर कोई ऐसी सीमा निकालें जिससे ग्राम लोगों को जो मध्यम स्तर के लोग हैं उनकी हाऊसिंग की समस्या दूर हो और यह सिर्फ बड़े श्रादिमयों के लिए नहीं हो। मगर मझे यकीन है कि दिल्ली रेट कंट्रोल एक्ट बनने के बाद बहुत से ऐसे मकान जिनके किराये बढ़ जाएंगे वह उस सीमा के भ्रन्दर भ्रा सकेंगे। मोहसिना जी ने जो साढ़े सात से दस परसेंट किया है तो यह झा कमीशन ने 10 परसेंट का सजेशन दिया था वह सिर्फ इसलिए दिया था कि जो कुछ खर्च होगा रिपेग्रर का और जो टेक्सेज वगैरह होंगे वह टेनेंट को देने पड़ेंगे चूंकि ग्रब यह मकान मालिक के जिम्मे हो गये है इसलिए मुझे लगता है कि 10 परसेंट कुछ ज्यादा फीज़िबल नही लगता है। कोई भी इन्सान अपना पैसा किसी चीज में इसलिए लगाता है कि उसको भ्रामदनो हो। कोई पब्लिक सर्विस के लिए मकान बना कर के नहीं रखता है। वह किराये पर इसलिये देता है कि उसको भ्रामदनी हो ग्रगर उसको इनवेस्टमैंट पर 10 परसेंट भी नहीं मिलेगा कीन होगा जो तीन चार परसेंट के लिए भ्रपना मकान बना कर किराये पर देगा जबकि बैकों 2465 RSS/88-20

के श्रन्दर या पब्लिक सेक्टर के **ग्रन्दर** इनवेस्ट कर के उसको 10 से 16 परसेंट तक रिर्टन होता है। इसलिए मैं चाहंगी थह हो अगर मोहसिना जी और सरकार यह चाहती है कि हाऊसिंग एक्टिविटी बढ़े। जो हमारे देश के अंदर एक तरह से फिनामिनल तरीके से रेंट बढ़ा है वह हाऊसिंग की शाटेंज होने की वजह से वढ़ा है। आप इसकी ऐसी सीमा राखए ताकि लोग मकानों के अंदर पैसा लगायें और उनको उसका बराबर रिटर्न मिले। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसे को किसी दूसरा जगह पर नहीं रखना चाहते हैं। बहुत से लोग इस बात को नहीं चाहते है कि बैंकों से उनको इंटरेस्ट मिले वे इसको गलत मानते हैं, कुछ सेक्टर है खास तौर से मुस्लिम लोगों में। ये घर बना देते हैं उनके किराये से उनको आमदनी होती है । अगर उन्हें उसका रिटर्न नहीं मिलेगा तो किस तरीके से बिल्डिंग्स के अंदर लगायेगें क्योंकि उनका मकान हमेशा के लिए दूसरे के नाम लिख गया और वेकार ही हो गया। इस क्लाज के ऊपर मैं यह कहना चाहुंगी कि प्रधान मंत्री जी ने एक चार्ल्स कोरिया कमेटी बनायी थी। उस कमीशन ने सजेशन दिया था कि इन्फ्लेशन के लिहाज से किराये में बढ़ोत्तरी होनीं चाहिए। आज मकान वनाना कितना महंगा हो गया है, सीमेंट महंगी है, लकड़ी महंगी है, दूसरी सामग्रियां महंगी हैं। मकान बनाने के लिए जमीनों के भाव बेहद बढ़ गये हैं। सरकार कोई जमीन लेती है और डी.डी.ए. आदि की तरफ से मकान बनाने वालों को देती है तो उनके रेट्स बढ़ गये हैं। इस लिहाज से और रुपये

[डा ० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला] कपड़ा और मकान और मैं समझती हूं कि अगर रोटो और कपड़ा मिल जाए और उसके सिरपर छत नहीं हो तो उसके लिए दोनों चीज बैकार हो जाती हैं। जो तीन ग्रहम चीजें इन्सान की जिन्दगी में हैं उनके लिए जो कुछ हमारी मरकार कर रही है और युनाइटेड नेशंस ने भी जो एक सीमा मुकरर्र की थी कि हर एक को घर मिलना चाहिये तो इसके अन्तर्गत यह जो संशोधन लाए है इससे मुझे लगता है कि जो मोहसिना जी ने कहा है कि बिल्डिंग एक्टीविटी बढ़े, लोग घर ज्यादा बनाएं और जो आपस में देनेट्म और हाऊस आनर्स के बीच में मनमुटाव होता है वह दूर हो जाएं। हमारे माननीय सदस्य जसवंत सिंह जी ने भी कहा, लैंड लार्ड की वात पर मैं भी ओब्जे क्शन करूंगी। मान्यवर, लार्ड तो यहां से चले गये ग्राज से 40-41 साल पहले ग्रब तो लाई रहे नहीं और जो लैंड है वह दूसरों के कब्जे में है यहां समाल करता जबकि न लैंड है न लार्ड यह कुछ प्रजीब सा लगता है। मैं मोहसिना जी से कहूंगी कि लीड लार्ड शब्द को वे हटा दें और लाई का जमाना ग्रव चला गया है ग्रव तो सब बेचारे गरीव लोग रह गये हैं इस देश के अन्दर। दूसरा मैं एक म्राम मुद्दा भ्रापके सामने रखना चाहती हं। मैं बम्बई से ग्राती हूं जहा पर हाऊसिंग की सब से ज्यादा समस्या है। दिल्ली तथा बम्बई के ग्रन्दर हाऊसिंग की मुश्किल हैं। मैं यह उम्मीद करूंगी कि हम यह एक ऐसा कम्प्रेसिव विधेयक लाएं जिससे सारी दुनियां में एक मिसाल कायम हो और खास तौर पर वम्बई और दिल्ली जैसे शहर के धन्दर इस

तरह का संशोधन लाएं। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि क्योंकि हम काऊंसिल श्राफ स्टेट्स में बोल रहे हैं हम ग्रपनी श्रपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो यह विधेयक रेंट कंट्रोल का ग्राया है तो मोहसिना जी श्रपने गड-ग्राफिसेज का इस्तेमाल कर के भ्रपना चार्म, इन्फ्लु-येंस और वायलेंस अगर कर सकें जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, यह हमारे शहर के जपर भी लागू करने की कोशिश करें। क्योंकि बम्बई में यह हालत है कि लोग पुरानी विल्डिंगों में रहते हैं और वहत कम किराया देते हैं। हाऊसेज की शार्टेज है चाहे वह बिल्डिंग गिर जाए मर जाएं मगर घर नहीं छोड़ते हैं। जो मकान मालिक है वह उसकी रिपेग्रर नहीं कर सकता है क्योंकि उसका किराया इतना कम है कि उसकी रिपेग्रर करना तो दूर रहा उस किराये को वसूल करने के लिए कोई नौकर भी वह नहीं रख सकता है जिससे वह उस मकान का किराया वसूल कर सके। वहां जो पहले लीज लाइसेंस का तरीका था जिसके जरिये कंट्रेक्ट करते थे कि वह 11 महीने के बाद उसको दोबारा ने लेते थे वह तरीका भी प्रव खत्म कर दिया गया है। इससे इन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां मैं चन्द बाते हाऊसिंग के बारे में कहना चाहंगी और इस पर ग्रब लोगों ने बोला है। मैं पिछले साल टर्की गई थी। वहां मैंने देखा कि उन्होंने हाऊसिंग की समस्या को काफी हद तक हल कर लिया है। वहां एक ऐसा फंड वनावा गया है हाऊसिंग डवलपमेंट फण्ड जिसके जरिये से लोग उस में पैसा जमा करते हैं। उस में वैक की तरफ से लोन मिलता है और उससे वहां उन्होंने श्रपनो हाऊसिंग 301

I welcome the fact that the hon. Minister herself brought forward an amendment to the Bill extending the benefits of Defence services to Central Government employees as well as the employees of the Delhi Administration. There are other people also. Mention has been made earlier about widows and handicapped. Indeed, my estee-Morarka, made the med colleague, Mr. point that, perhaps, the greatest beneficiary of this Act are going to be the Government servants, only. That is a very valid There are employees in other areas. You have given a specific benefit to Government servants. By itself, to me, that is welcome enough. But it does not go far enough because the bondage of rent control, the tyranny of rent control, still remain on very many others who are equally deserving. I would have categorised the list of those who are equally deserving But I do not wish to do so because that will take the time of the House.

Then, Sir, in clause 12, there is a mention about private trusts. I understand, by 'private trusts', the Government does not mean public charitable trusts. If an institution is run in a medical clinic, if a charitable trust is running a clinic, private clinic, admittedly, it is running it on hired premises. Would the Government clarify what exactly do they mean by this? There is no definition here.

One final point. This is in regard to the business of 10 per cent hike and 10 per cent return. An admirable point made by my esteemed colleague, Mr. Morarkawe both come from the same State-is that it is all right that you give this 10 per cent provided you have brought the entire previous mess to a certain uniform level. You can say that not more than 10 per cent return and 10 per cent like 18 Il that you are going to give. Ten per ent plus 10 per cent. But at least, clear ne past backlog. There are many premies on rental. There is the case of a forper Member of this House, Sardar Khus-

want Singh. His premises in Sujan Singh Park was taken away during the Second World War at Rs. 260/- per month and they remain at that. Therefore, first of all, you have to clear that backlog and bring the entire thing to one level. Then you can say that you will not give more than 10 per cent return and 10 per cent hike. But this by itself makes no sene. There is great sense in what my colleague. Mr. Morarka, has said. You have to index it first. Only then you can clear out of this jungle of rent control.

Sir, as I said, I have difficulties with this Bill and I have listed those difficulties. Nevertheles, though belated, it is a welcome measure and I give my reserved approval.

Thank you.

(श्रीमती) नाजमा हेपतुत्सा (महाराष्ट्र): उपसभापित महोदया, मैं इस | बिल का समर्थन करने के लिये खडी हुई हूं। महोदया, मैं मोहसिना जी को इस बात की बधाई देती हूं जो बे हजारों मुसीवतों के बाद भी इस बिल को सदन के सामने लाई हैं। बहुत दिनों से इस बान की चर्चा थी कि दिल्ली रेंट कंट्रोल के ऊपर कोई संशोधन सरकार सदन के सामने रखने वाली है। मेरा भी एक बिल था, जो मैंने दो-तीन साल पहले पेश किया था। मगर बह लैप्स हो गया क्योंकि उस समय मैं इस कुर्सी पर जिस पर ग्राप बैठी हुई हैं, इलेक्टेंड हो गई थी। इसकी वजह से वह बिल लैप्स हो गया था। लेकिन ग्राज इस बिल पर बहस करने का हमको मौका मिला है। महोदया, मेरा कहना है कि तीन चीजों की इंसान को ग्रपनी जिंदगी में जरूरत होती है।

· [Shri Jaswant Singh]

or 3600 or 3750 ? Unless, therefore, I am able to understand the reasoning that is behind it, I find it very difficult to accept it for reasons which I will give subsequentlv. Jha Commission recommended Rs. 1500 per month and from Rs. 1500 you have gone on to Rs. 3500. I am sure you applied your mind to it. So, what is the criteria you adopted. I have been given some of these figures by my charming colleague, Shrimati Renuka Chowdhury. She quoted this figure, that of the 600,000 houses in Delhi, only 4000 plus or minus - approximately 4000 are having a rental of above Rs. 3500 a month, which is less than one per cent of the total available housing which can be rented out. Am I to assume that the Government of India is bringing forward a legislation only for that less than one per cent of the housing? And it is for less than one per cent of the housing, then certainly none of the three stated objectives of this particular piece of legislation will not be met.

*** My next question is, which I request the hon. Minister to clarify-hon. Minister might not immediately have the answer; but nonetheless she might conduct an investigation - that of the existing litigation in Delhi, relating to rent control What perchage of the litigation is of rentals above Rs. 3500 or of Rs. 3500 and what percentage is of less than that. If an examination were to be made of these figures, she would find that 95 per cent of the litigation is of rentals below Rs. 3500, and only 5 per cent is above that, which is a minimal percentage of this igure. Therefore, I have great difficulty vith this figure and I would earnestly rejuest the hon. Minister to re-examine the eiling of Rs. 3,500. (Time bell rings). I vill be brief. I know that my time is limied in this.

Then there is the question of ten-year reedom that has been given, as a measure

of encouraging house building. There are two aspects. This by itself will not encourage house building unless the totality of the atmosphere of rent control is improved. Earlier you gave a holiday of five year. Now you make it ten years as you found that five-year holiday was not succeeding whereas by bringing in this piece of legislation, you are going towards creation of a more judicious climate for rent control. Ten-year holiday by itself will not suffice. I would also submit to the hon. Minister to examine whether this ceiling of Rs. 3500 and the period of ten years is not going to be violative of article 14 of the Constitution.

Now, I have just two or three points to make. One relates to clause 8 of this particular Bill. Cause 8 creates some difficulty. It is strange that it has been incorporated. In the principal Act, there is section 14. It lays down various grounds on which a tenant could be evicted. Among them there is a clause providing for eviction of a tenant where the tenant has, whether before or after the commencement of this Act. Built, acquired vacant possession of or been allotted a residence. The intention of this clause was obvious.

2.00 P.M.

Where a tenant has another premises other premises, he should vacate the premises he is occupying in respect of which he is enjoying the protection of this Act. The framers of this amending Bill and the Government have sought to exclude the word 'built' from this provision. That is, where a tenant has built his own premises, he will continue to receive the protection of this Act. But where a tenant has acquired vacant possession of, or been allotted, a residence, he will not be allowed this very protection. There may be a logic in this. I have failed to find it. Would the hon. Minister please explain to me why this word has been omitted? 👵 😘

208

[30 AUG. 1988]

Now, in regard to rentals, two simultaneous phenomena are witnessed in the arban scene, escalating land prices and inciedibly high rental values, obscenely high, no new construction being taken up and courts clogged with litigation relating to rentals. I have been given instances in this note by this very eminent Indian, where he has stated, and I am sure the hon. Minister will be aware of them that the rentals in Delhi have reached incredible figures, vulgarly obscene figures like Rs. 50,000 a month. Indeed an example has been given to me here of a house in Vasant Vihar, there is no telling of tastes. This particular house was, of course, constructed all over with marble, including the surrounding walls. this particular house in Vasant Vihar is fetching a monthly rent of Rs. 3 lakhs, whereas the monthly rental Rs. 3,00,000 a month...

AN HON. MEMBERS: Is it a palace?

SHRI JASWANT SINGH : No. it is not a palace. It has marble all over and the rest of it. I do not want to go into the details. I have the details of who owns this house and who the tenant is. But the fact is that there is a house in Delhi, fetching Rs. 3,00,000 then surely there is something somewhere. Now, in the entire set up of what is rent control in Delhi, there is chaos. And, of course as has been mentioned by a number of other speakers the between tenants and houserelations owners have deteriorated alarmingly. Morality which is an aspect of the urban scene, which we must take into account, in fact one of the contributions of the chaos that is the urban scene is the coming of this word 'pugree'. 'Pugree' for us in rural India means an headgear. pugree in urban India has come to acquire a meaning of its own and its current rate is universally understood. That has

Il not to be explained. Pugree has bacome a part of life of urban India. And this is an index of the decline of morality as a contributory factor morality in the chaos I that is urban India.

To come back, however, Sir, to this particular piece of legislation, the aim of this piece of legislation is to reduce litigation, to increase house-building vity and to reform rent control law. Then, I am afraid, however welcome a step it might be, it does not go sufficiently far and if it does not go sufficiently far then I have to submit that there must be pressures on this Government, gives the good intentions with which it has brought forward this legislation, are so strong that it is unable to contain them, confront them, overcome them and come forward with a of piece legislation. which is whole, which is harmonious and which indeed subserves the basis which it itself has stated as the objects. The first point is...

भी रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रवेश): म्रापने जिस तीन लाख रुपये किराये के मकान क जिक्र किया है, क्या भ्राप उस मकान का महत्ला और मकान नम्बर भी बता देंगे ?

श्री जसवंत सिंह: मुहल्ला तो बता दिया है, बसंत विहार में है।

I don't think the concern of the Parlie ment is about the sanity of rental c 300,000; it is illustrative Rs. iliness.

About this aspect of the ceiling (Rs. 3500]- I would request the ho Minister to please share with us and gi me two answers on this question of t ceiling of Rs. 3500 - as to what crite you applied in arriving at this figu Why this figure of 3500? Why not 34

بارے میں سوحتی ہے۔ اور دوسرے ،یمہلابز کے بارے میں نہیں سوچتی جوکہ پرائیویٹ سیکٹر یا دوسرے جگہوں ہر نو کری کرنے هیں اگر میں یه سوحتی ہوں کہ جس شخص کے پاس مکان نہیں ھے۔ جاھے وہ سرکاری ملازم ھو۔ جاھے برائیویٹ سیکٹر کا ملازمھو۔ چاھے کھیں بھی نوکر ہو۔ اسکو اسکی ضرورت کے ائر مکان جو ہے وہ اسکو ضرور ملنا چاھئر۔ انھیں چند شیدوں کے ساتھ میں محسنه جي كو ايك بار بهر مباركباد دیتی هوں۔ اور وہ جو یه بل لائی هیں کر دبا اس کو آپ اوک سبھا میں بھی باس کروا دیجئر اور اسکر بعد اسکو المهليمينك بهي كروا ديجر تبهى مجهر لكنا ہے کہ یقینا اس کا اودیششئر ہورن ہوگا۔ تهینک یو ـ

رام اودهیش سنگه: سنشودهن کے ساتھ ڈاکئر (شریمتی) نجمه هیبت الله: هان همارت سنشودهن کے ساتھ اسکو باس کروا دیجئے۔

श्री तीरथ राम आमला मैंबर्ज को डाउट क्यों हो रहा है कि यह बिल यहां से पास होने के बाद लोक सभा में पास होगा या नहीं होगा?

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्लाः कई बार हो जाता है।

2465 RSS/88-21

श्री राम ग्रवधेश सिंह : माननीय उप सभाध्यक्ष जी, यह बिल जिस उद्देश्य से लाया गया है उस उद्देश्य के बारे में मुझको कोई शक नहीं, उद्देश्य अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ बुटियां रह गई हैं। मैं समज्ञता हूं कि उन तृष्टियों को यदि दूर कर दिया जाए तो कुछ कारगर ढंग से भाड़े की दर में जो वृद्धि हो रही है या किरायेदार या जो मकान मालिक हैं उनमें जो विवाद हो रहा है वह सब कुछ हद तक दूर किना जा सकता है। लेकिन उद्देश्य भ्रच्छा रहते हुए भी इसमें कई तृटियां हैं। मैं केवल उन वृटियों की ओर ग्रापका ध्यान खींचना चाहंगा। मैं चाहंगा कि माननीय मंत्रिगण जो दोनों यहां बैठे हैं बड़े और छोटे मंत्री, वे इस पर ध्यान देंगे। जो सबसे खलने वाली बात है वह यह है कि इसमें कोई ऐसी मशीनरो की व्यवस्था नहीं की गई है कि किराये के संबंध में जो केस या मुकदमें होते हैं उनका यथाशीघ्र निपटारा कराया जाए। तो ऐसी कोई मशीनरी जरूर बनानी चाहिए। जैसे लोक श्रदालत टाइप की बना दी जाए और 6 महीते के अन्दर वह फैसला हो जाए तो ठीक है। नहीं तो केस हो जाता है और बीस साल तक उस मकान में काविज रहता है। और मकान वाला मान लीजिए कि बाहर रह रहा हो, उसका बेटा कहीं दूसरी जगह से म्रा गया हो; उसे अपने रहने के लिए मकान की जहरत हो तो भी वह अपने घर में नहीं रह सकता है। इधर मकान का मुकदमा रहेगा और बीस साल तक उसका निपटारा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति है, मान्यवर, चाहकर भी वह भ्रादमी भ्रमने घर में नहीं रह पाता.. (ध्यवधान) 🗥

श्री जोतेश देसाई (महाराष्ट्र): जो रहता है, वह कहां रहंगा, इसके बारे मे कुछ बोलिए।

थी राम भ्रवधेश सिंह . मान्यवर, मान लीजिए छोटी पंजी वाला सादमी है, उसने ग्रंथने लिए सकान बनाया हो और उसका कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो। उसका बेटा या दसरा संबंधी वहां आए और उसे मकान की खद रहने के लिए जरूरत हो, उसे मकान न मिले वह अपने मकान में न रहे और दसर कियी किराए के मकान में रहे और इसरा ग्रादमी उसके मकान पर कम किराया देकर काबिज रहे, तो इसके लिए कृष्ट तो निपटारा होना चाहिए, जिन्नी जल्दी हो सके। इसके लिए ग्रापको कुछ विचार करना चाहिए, कोई ऐसा कानन बने, कोई ऐसी मशीनरी हो कि छह महीने में उसका निपटारा हो जाए।

दुसरी चीज, मान्यवर यह कि तीन वर्ष में 10 परसेंट किराए मे बढ़ोत्तरी की छट दे रहे हैं। मैं तो 10 परगेंट म भी कम चाहता, लेकिन ग्रव जो सरकार यहां बैंडी है, विस्त मंत्रालय पर इतका नियंत्रण है, हर साल साढे 10 परसेंट डेफिसिट फाइनिसग बजट इनका रहता है और यह साढ़े 10 परमेंट डेफिनिट फाइनसिंग होने में कीमत बढ़ अती है 25 परसेट, 30 परमेट। जब हर साल भ्राप कीमत बढाने की योज्या बनाते हैं 25 परसेंट, 30 परसेंट और नीन माल के बाद मान्यवर, यह कह रहे हैं कि 10 परसेंट की किराए में बढ़ोलरी की छट है, तो इसका मतलब है कि ग्राप जानवूझकर उसको इस स्थिति में रखना

बाहत हैं कि वह बहुत बुरी स्थिति में रहे।

फिर मान्यवर, पुरानी लागत के बारे में कहा गया है कि पूरानी लागत का 10 परसेंट में बढाकर 14 परगेंट कर दिया। अब मान लोजिए, किसी का मकान हो बीस साल पहले का बना हमा। उस समय की उसकी लागत 50 हुउतर रुपए की हो तो वह आज पांच लाख में कम नहीं होगी। भ्रत्र 50 हर्जार की तुलना में ग्रागर ग्राप 14 परलेंट करते हैं और उसको टैक्स देना होता है। 50 लाख के अनमार आज की इवेल्युशन में, नो उनको तो ग्राना घर बेचना पडेगा। इसलिए ग्रागर वाही 50 हजार का मकान बनाया है, 50 हजार कोई बडी चीज नहीं, तो 50 हजार का उसने अपने रहने के लिए मकान बनाया और किसी वजह से वह आपको दे देता है, तो उम स्थिति में ग्राप कह रहे हैं कि हम उमकी पुरानी कीमत का 10 परसेंट ज्यादा, और उदारता पूर्वक 14 परसट ज्यादा दे रहे हैं, तो उसके साथ ग्राप इस तरह से न्याय नहीं कर रहे हैं। इमलिए इसके धारे में आपको सोचना चाहिए।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हू और वह यह कि इसमें यह ग्राण्चरं-जनक प्रावधान है, कि मान लीजिए कोई ग्रादमी किसी मकान में किराएदार है और उसने ग्रपना मकान बना लिया है तो भी मकान बनाने के बाद दस माल तक वह किराए के मकान में रहेगा और जिपका मकान लिया है, मकान-मालिक को उसकी अरूरत भी होगी तो उसको नहीं मिल पाएगा। मैं चाहंगा कि इसमें

ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि संगर किराएदार ने ग्रयना मकान बना लिया है तो वह ग्रंपने मकान में जाए।लेकिन वह जाता नहीं क्योंकि उसको फायदा यह होता है कि दस माल पहले जो किराया वह देता था, वही किराया भाव भी दे रहा है और वह मोचता है कि मैंने नया मकान बनाया है, उससे ज्यादा किराया ग्रा रहा है और वह **ग्रा**ना मकान किराए पर देत(है फिर दुसरं के मकान पर काविज रहता है। इसलिए इसमें यह प्रावधान होता चाहिए कि जो किराएदार अपना मकान बना ले, वह ग्रंपने मकान में वह ग्राना मकान बनवाने के 6 महीने के अंदर अपने मकान में चला जाए। ऐसा इसमें कोई प्रावधान होना चाहिए। मेरा यह भी कहना है कि इसमें 3500 की जो निमिट हैं वह एक हजार करनी चाहिए। ग्रगर ग्राप गरीब और ग्राम ग्रादमी के बार मे सोचते है तो इसे एक हजार करिए। क्रांप 42 हजार मालाना की छुट दे रहे है। माप बड़े लोगों को तो छुट दे रहे है, लेकिन जो साधारण लोग हैं, ग्राम लोग हैं और गरीब है उनके लिए छट की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं चाहता हं कि 3500 में घटाकर एक हजार की सीमा लगायी आए।

मान्यवर, जिम उद्देश्य मे यह विल लाया गया है कि जो लंबे झगड़े हैं, उनको ममेटा जाए उसके लिए जरूरी है कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उन्हें इस बिल में मिमिलित किया जाए झन्यथा मजान मालिक और किरायदारों को जो फायदा देना चाहते हैं, वह नहीं मिल पाएगा और उन्हानें और ज्यादा बढ़ेंगी। धन्य-वाद।

बीधरी राम संबंक (उत्तर प्रदेश): सम्माननोय उपसभाष्यक्ष जी. यह दिल्ली किराया नियंवण अधिनियम, 1988 का मंशोधन करने वाला जो विधेयक विचार के लिए यहां लाया गया है, मैं उसका भन्मोदन करता हं। उसकी ताईद करता हं। साथ ही यह जो प्रस्तात्र श्री सत्य-प्रकाश मालवीय का है कि इस को राज्य मभा की प्रवर मिित को सौप दिया जाए मैं इसकी मावश्यकता नहीं समझना हं। इसे प्रवर समिति को सौपने का कोई ऑचित्य नहीं है। मैंने इस विल के बारे में कुछ मुझाव दिए है वह मर्जुलेट भी हुए हैं। मैंने वर्बली मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट भी की है कि मैंने जो स्झाव दिए हैं, वह मौलिक हैं, उन पर ग्राप विचार बार और उनको एक्सेप्ट कर लें। उनकी ओर से कुछ ग्राक्तासन भी मिला है लंकिन वह कहां तक एक्सेप्ट करेंगी इसके बारे में अभी नहीं कहा आ सकता है। मैं ग्रंपनी स्पीच को और ज्यादा लम्बा महीं बढ़ाना चाहता हं, लेकिन मैंने कुछ एमेडमेंट्स दिए है। वह एमेंडमेंट्स यह है कि:

Clause 2 of the Delhi Rent Control (Amendment) Bill, 1988 seeks to amend Section 3 of the Principal Act namely. Delhi Rent Control Act, 1958. The Section excludes certain classes of properties and premises from the operation of the Act

The amending Bill of 1988 proposes to exclude from the operation of the Act any premises, whether residential or not, whose monthly rent exceeds Rs. 3.500. This amending provision appears to help only rich house owners who have built up posh premises and have rented out the same to

[Choudhary Ram Sevak]

affluent tenants. It does not take into account the majority of single house owners who are middle class people and who spent their life's savings and loans for acquiring a house of their own. The Jha Commission had recommended to the Government that premises whose monthly rent exceeds Rs. 1,500, does not require being governed by the Rent Control Act, But tenants paying Rs. 1,500 rent or less deserve the protection of the Rent Control Act. There was some correspondence and exchange of views between the Ministry of Home Affairs, the Law Ministry and other concerned Ministries and it was felt that the proposed limit of Rs 1500 by the Jha Commission should be raised to Rs. 2000, which would be consistent with the economic thinking of the Government where a person whose income is less than Rs. 18,000 a year (which comes to Rs. 1500 a month) is exempted from payment of income-tax which is levied on higher incomes on a slab system, as tax relief is given to various other incomes as well, for instance, 33 per cent of salar ed income is exempted from tax and bank interest income up to Rs 10,000 a year is also exempted from tax. Taking these factors into consideration, it appears desirable that premises whose monthly tent is upto Rs. 2,000 should be given the protection of the Rent Cortrol Act but premises yielding higher rent do not need the protection of the Rent Control Act. Therefore, for the purposes of exemption the limit should be Rs. 2,000 and not Rs. 3,500 as proposed in the amending Bill, 1988.

In the proposed Amendment Bill, it appears to have been overlooked that the

definition of premises in the principal Act envisages the possibility of a which is, or is intended to be, let separately for use as a residence or for commercial use or for any other purpose... It is, therefore, not uncommon that the some building constructed on a small but indivisible plot may be let out through separate tent agreements for residential portion and another agreement for a portion of the same premises to be used for office or other non-residential use. This is usually resorted to for splitting the rent which helps parties to gain concessions in taxes and the Government as Municipal authorities are denied their legitimate dues. Therefore, it is proposed to add an explanation after sub-clause (C) of Section 3 of the principal Act as proposed so that the real intention of the Government should be more faithfully explained.

The amending Bill attempts to protect for 10 years any new construction from the rigours of the Rent Control Act in the matter of charging of rent. But, the amendment as drafted can lead to an unconscionable situation where a person living in a tenanted house goes on enjoying for 10 years the tenanted property at low rent but is free to charge any amount of rent for the house constructed by him. The person should be eligible to enjoy the unlimited power on the condition that he vacates the tenanted premises forthwith. The original intention of the principal Act was also the same, namely, that a person who acquires or builds his own house, cannot keep the other house in his tenancy. The lacuna has been attempted to be removed by adding a proviso after subelause (d) to make it clear that unless a person gives up his tenanted premises, he will not be free to enjoy unlimited rents for his newly constructed house. Besides this, clause 9 of the amending Bill, 1988 deals with the 'right to recover immediate possession of premises to accrue to certain persons'. The procedure for recovery of immediate possession has been specifically provided in Chapter III-A of the principal Act and particularly section 25-B of the principal Act.

The proposed amending Bill, 1988 extends this special provision of immediate possession to certain new categories, namely, armed forces, members of the police force and employees of Central Government and Delhi Administration. However, the proposed amendments are discriminatory and exclude citizens who retire from private services and other avocations and are particularly harsh on the promises which the Government and the Prime Minister particularly have given to women who constitute more than half the number of voters.

Sir, the proposed amending Bill also failed to take into account the difficulties created by a Supreme Court judgment dealing with the affidavits referred to in the implementing section 25-B of the principal Act. The result of that Supreme Court ruling has been that even if somebody files a false affidavit, the Court has no option but to deny the proposed remedy provided in section 14-A of the principal Act and now proposed to be extended to some other categories as actailed above. To set the position right, it is proposed to add section 14-D to extend the

telief to widows, spinsters, divorced ladies, professionals and women enuev omen preneurs to seek possession Ωf the's premises for their personal needs. The problem created by the Supreme Court judgement regarding affidavits has been proposed to be sorted out by proposing an amendment to clause 13 of the Bill by providing that the affidavit shall be accompanied by documentary evidence in its support and the Controller shall examine the affidavit in the light of such evidence at the earliest hearing. So, Si., I suggest that section 14 be deleted.

The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai) in the Chair.

Lastly, Sir, I come to the recommendations of the National Commission on Urbanisation. The statement of objects and reasons appended to the Bill mentions recommendations made bv National Commission on Urbanisation. Commission on Urbani-The National sation had recommended that the criteria for application of the Delhi Rent Control should be to help the weaker sections and not the affluent sections. Therefore, the Commission had recommended the adoption of the criteria of land area for nonresidential and residential property and had suggested that the protection should be afforded to a tenant occupying nonresidential area of 20 sq. metres and 80

[Chaudhary Ram Sevak]

sq. metres for residence. To implement this recommendation of the Commission, in the interests of the poorer tenants, this amendment is being proposed by me.

With these words, I appeal to the hon. Minister to consider and accept my amendments. Thank you, Sir.

श्रीमती सत्या बहिन (उन्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हं कि आपने मुझे इस विल पर बोलने के लिए समय दिया।

मैं अपने माननीय न्याथिय प्रधान मंत्री जी को धन्थवाद देती हूं कि उनका ध्यान इस अहम समस्था की तरफ गथा। मैं माननीय णहरी विकास मंत्री जी का आभार ब्यक्त करती हूं कि उनके समय में यह कानून बनकर हजारों लाखों लोगों को राहन पहंचाएगा।

मान्यवर वर्तमान रेंट कंट्रोल एक्ट और दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनिधम ऐसा कानून है जो दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देशभर में बहुत सी समस्थाओं और विवादों को जन्म देने का एक प्रमुख कारण रहा है ।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब भवन सामग्री की कमी थी तथा भारत विभाजन के समय जमींदारी प्रथा समाप्त तथा आवास समस्या के हल के लिए की परिस्थितियों उस समय को देख कर लाग किया गभा था। किन्त् आज की परिस्थितियों में कानून अव्याविहारिक अन्याय पूर्ण और केवल काबिज किरायेदारों का गंरक्षक तथा गरीब बुढे अमन पसंद उन मालिकों जिनके मकान इस कानुत के अन्तर्गत नाम मात्र के लिए किराये पर है उनके लिए परेशानी बन कर रह गया है।

यह कामून भारतीय नागरिकों के लिए संविधान प्रदत्त संपत्ति के मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन करता है।

आज दिल्ली और देश भर की अदालतों में बहुत बड़ी संख्या में मकान मालिकों व किरायेदारों के बीच चल रहे मुकदम इमी दोषपूर्ण कानून की देन है ।

व किरायेदार के मकान मलिक संबंध इतने कट हो चके है कि आज यदि पुलिस के रिकार्ड को निकाल कर देखा जाय तो यकीनन अधिकतर हिंतक घटनाएं जो हत्या से लेकर चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार में को जड भी घटनाओं और किरायदारों के आपसी मालिक विवाद ही मिलेंगे ।

इसी कानून के कारण नये किरायेदारों को मकान किराये पर मिलना कठिन हो गया है क्योंकि कोई भी मकान मालिक किराये पर मकान खतरे में नहीं डालना चाहता । इसी कानून के डर के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय के जज तथा मुख्य तथा उप राज्यवान न्य:धाधीश भी अपने मकानों को किराये पर न देकर खाली रखना ज्यादा सुरक्षित ममझा क्योंकि उन जैसी हस्तियों तक ने अवनी आवश्यकना किरायेदार से कराना असम्भव पडने पर मकान खाली समझा। इसके साथ ही अभी हाल ही में सूचना के अनुसार एक रिटायर्ड महय न्यायाधीश तक को भी काफी प्रयास करने के बावजुद किराये पर मकान

देने को इसी कानून के डर से कोई राजी नहीं हुआ।

आज यदि एक ईमानदार सर्वेक्षण किया जाये तो यह कटु सन्चाई सामने आ जायेगी कि इस रेंट कंट्रोल एक्ट के अ न्तर्गत आने वाले गरीब मालिकों का किरायेदार द्वारा ही अधिक भोषण हो रहा है। एक पुराना खस्ता हाल जर्जर मकान को भी किरायेदार छोड़ना नहीं चाहना क्योंकि वह नाम माल का 10 था 5 रुपये का किरायेदार है जिस भवन का वास्तविक बाजार मुल्य आज लाखों में है उसे या तो किरायेदार कोडियों में खरीदना चाहता है जो उसके मलबे का भी भूल्य नही होगा या फिर उसे खाली करने का वाजार मृल्य हजारों या लाखों रुपये मकान मालिक में किरायेदार वसूल लेना चाहिता है। और कई मामलों में मजबूर मकान मालिक कर्ज ले कर भी मकान खाली कराने हेत्यह रकम देने पर मजबूर हो गये है क्योंकि मकदमेबाजी में समय, श्रम एवं धन सभी बबीद और फैसला भी अनिश्चित होता है। अतः आज की परिस्थितियों में धह कानून बिल्कुल अमानवीय एवं अब्धव-हारिक है। आज के हालात मे इसका मूल्याकन करना तथा इसमें न्थायपूर्ण संशोधन करना अति आवश्यक है। ऐसा संशोबन जो हो, ब्यावहारिक हो, करना आवश्यक है।

आज एक तरफ वड़ी संख्या में किराये दार जिसमे वड़ी व्यवासाधिक कम्पनिया, फर्मे और सरकारी व अर्थ सरकारी मंस्थान प्रति-ठान तथा वकील

डाक्टर व व्यवसायी भी सम्मिलित है, सम्पन्न हैं, सक्षम है और अपने लिए एक नहीं कई भवन तक बना सकने की आर्थिक स्थिति में है और द्सरी ओर अधिकार मकान मालिक निम्न था मध्यम श्रेणी का या बूढा व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से साधनहीन या रिटा-यर्ड कमचारी है। और साथ निजी आवास या व्यवसाय की भी कोई व्यवस्था नही है किन्तु अपने पैतुक मकान को प्रयोग मे लाना या उसमें रहना उसके लिए इस कानून की खामियों के कारण में कमी पूरा न हो सकते वाला ख्वाब मान्न रह गधा है । क्योंकि इस प्रकार के सम्पत्ति के मानदमें बीसियों यहां तक की पचासियों वर्ष तक लोअर कोर्ट से लेकर मुप्रीम कोर्ट तक चलते है जिन्हें लड़ना हर किसी के बश की यात नहीं।

मै दिल्ली में ही इस व्यवस्था के उदाहरण देना चाहुंगी। एक तरफ दिल्ली नगर निगम या नई दिल्ली नगर पालिका केवल एक या दो वर्ग मीटर फुटपाथ की तहबाजारी साढे तीन रुपये प्रतिदिन अर्थात् 105 रुपये प्रतिमाह तोगों से वसूल करती है और दूसरी ओर इसी क्षेत्र मे पनको दुकान या मकान उस तहवाजारी भूमि स 20 गुना अधिक भूखण्ड या बना पक्का मृतिधाजनक मकान या दुकान है जो रेन्ट कंट्रोल एक्ट प्रन्तर्गत स्राता है उसका किराया माव 10 रुपये या 5 रुपये प्रति माह यानो केवल 15 वैमे दिन प्रतिदिन है।

महोदय, स्राज मकान बनाने या मरम्मत करने याले कर्नचारी यानी राज भी

T.F. ..

📋 [श्रीमती सत्या बहिन]

335

मैसन भी एक दिन की मजदूरी 60 ह. लेता है तथा मजदूर 20 र. लेता है और लोहा, सीमेंन्ट, ईट तथा अन्य बिल्डिंग मैटिरियल की कीमत मलग है। बीस वर्ष पहले और पचास वर्ष पहले के जो मकान हैं, उनकी कीमतों में कितना अन्तर आ गया है। तब उनका किराया 4 रु. या 5 रु० था तो ग्राज पचास वर्षों के बाद भी वही किराया कहा तक उचित है जबिक हर वस्तु के मृल्य में इतने वर्षों में भारी बृद्धि हो चुकी है । ऐसे मकान जो पुराने और जर्जर है उन मकानों पर कई वर्षों का किराया एक दिन की ग्रांशिक मरम्मत में ही खर्चहो जाएगा। ऐसी हालत में ऐसा कीन-सा मकान मालिक होगा जो ग्रपना पैसा खर्च करके और ग्रपनी जेब से पैसा खर्च कर किरायेदार को स्विधाएं प्रदान करेगा । मैं एक उदाहरण देना चाहती हं। ग्रमी कल 29-8-88 के ग्रखबार में एक समाचार छपा है जिसमे बताया गया है कि चांदनी चौक में एक पुराना मकान गिर गया जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गये। यह भा समाचार है कि यह मकान रेन्ट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत स्राता था। उस मकान का मालिक बेचारा बीसियो साल से इस बात की कोशिश कर रहा था कि वह मकान खाली हो जाय तो वह उसका पुनः निर्माण कर सके लकिन वह इसमें कामयाब नही हो सका और इस वीच में उसकी डेथ हो गई । उसके बाद उसकी विधवा ने इसको खाली करानेकी कोशिश की और वह बेचारी बिल्डर के पास भी गई, लेकिन फिर

मकान खाली नहीं करा सकी। बिल्डर खुद ही उसको सस्ते मूल्य में खरीदना चाहता था। लेकिन भी इसमें कामयाव नहीं हो सका। म्रा**खिर में वह मकान गिर** और किरायेदार भी उसमें मर गया। यह स्थिति उस मकान की खतरनाक हालत के कारण हुई । मैं यह कहना चाहती हूं कि भ्रावास की समस्या देश की प्रमुख समस्याओं में से है और एक लिए हल के ग्रावश्यक है कि इस कानुन को बदला क्योंकि इसके चलते कोई भी किराये दार भ्रपना मकान बनवाना नहीं चाहता तथा कोई भी व्यक्ति अपना महान बनाकर किराये पर नहीं देना चाहे खाली ही क्यों न पड़ा रहे। ऐसा ही एक समाचार 16 जुलाई हिन्दुस्तान टाइम्स लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें यह बताया गया है कि सौ से ग्रधिक फिल्मों हस्तियों द्वारा की गई मामिक अपील प्रकाणित हुई जो संगीत हार नौशाद वह फ्लेट खाली करने के संबंध में की गई थी जिम हिन्दुस्तान लीवर्स , सैन्डोज वृक्तबांड इण्डिया जैसी बडी व्यावसायिक संस्थाये किराये के रूप में काविज थी वे बडी परेशानी में थे और ऋपना मकान खालो कराने के लिए परेशान थे। इसलिए सव लोगों ने ऋपील की कि उनका मकान खाली कर दिया जाय । वे इस स्थिति में नहीं थे कि मुकदमें वाजी में समर्थ हों । इतने बड़े बड़े लोगों को यह परेशानी होती है तो गरीब लोगों

337

स्थिति होगी, इस की सरकार समझ सकती है। इस कानून में खामियों के कारण ही बहुत से अपराध भी बढ़ रहे हैं। रेन्ट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत श्राने वाली सम्पत्ति को पाने के लिए अपराधी वर्ग तथा प्रापर्टी डीलर व बिल्डर सिक्रिय हो गया है और किसी भी प्रकार साम, दाम, दण्ड भेद से किराये नियंत्रण अधिकारी से मिलकर एक वार अलाटमेंन्ट कराकर ऐसे भवनों पर ग्राजीवन और अगली पीढ़ियो तक के लिए किरायेदारी का ग्रधिकार पा लेता है और बेवस मकान मालिक ऐसी सम्पत्ति को कोड़ियों भाव बैचने पर मजबूर जाता है क्योंकि श्रपराधी प्रवृति के लोगों से मकान खाली कराने हेत् मुकदमेंबाजी करना ग्रपने जीवन तक को खतरे में. डालना साबित होगा । मैं यह प्रार्थना करना चाहतो हूं कि इस रेन्ट कंट्रोल एक्ट को सिर्फ दिल्ली में हो नहीं पूरे देश में लागु किया जाए क्योंकि पूरे देश की समस्या है और जो समस्या दिल्ली में है वही समस्या तथा वही परिस्थि-तियां ब्रन्य जगह पर भी है। यद्यपि विछले कानून में यह व्यवस्था थी कि यदि कोई मकान मालिक निजी उपयोग हेत् श्रपनी स्रावश्यकताओं को दिखाकर, ग्रदालत मकान खाली करने का दीवा प्रस्त्त करता है तो ग्रदालत या नियंत्रण ग्रधिकारी मकान मालिक किरायेदार दोनों की तुलनात्मक म्रावश्य-कता को देखकर ही यह निर्णय देगा कि कौन अधिक जरुरतमंद है जो ग्रधिक जरुरतमंद उस मकान में रहने का अधिकारी होगा तथा इस प्रकार के कानून के अर्न्तगत 2465 R98/88--22

मकान मालिकों द्वारा किये गये दावों का अंतिम निर्णय किराया नियंत्रण ग्रिधिकारी या ग्रदालत द्वारा एक वर्ष में हो जाना ग्रावश्यक है।

ले किन मैं पूरे यकीन के साथ कहती हं कि पूरे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कानून के ग्रनुसार मुकदमा दायर किया हो वह इस ग्रवधि में तय हो गया हो। ऐसा कोई भी केस देखने में नहीं श्राया है। केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि हर जगह यही हाल है। होना यह चाहिये कि हर जगह देश के अंदर इसका निर्णय एक वर्ष के भीतर हो जाना चाहिये। ऐसा प्रत्वधान है। लेकिन पूरे देश में एक भी इस प्रकार का फैसलाएक वर्ष की प्रस्तावित ग्रवधि में पूरा नहीं हुग्रा है क्योंकि किरायेदार जानबूझ कर अदालतों में कोई न कोई बहाना प्रस्तुत कर बड़ी चतुराई से वर्षों तक तारीखें बढ़वाता रहता है और यदि दुर्भाग्य से किरायेदार हो तो इतनो स्वंय वकील पेंचीदगीयां खड़ी कर देगा कि बेबस मकान मालिक के लिये श्रपना मकान जिन्दगी में कभी पूरा न हो सकने वाला मात ख्वाब बनकर रह जाता है महोदय **ग्राज इस कानून के रहते किसी** किरायेदार व मकान मालिक के संबंध ब्र^{च्}छे नहीं मिलेंगे। इसी कारण भवन निर्माण को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता और ग्रावास समस्या प्रमुख समस्या हो गई है और बढ़ती हुई स्राबादो को मकान उपलब्ध नहीं हो पाते।

मान्यवर, मैं इस कानून के न्यायपूर्ण संशोधन का समर्थन करते हुए सरकार से ब्राप्रह करता हूं कि मकान मालिकों तथा किरायेदारों के ब्रदालती विवाद

[[श्रीमती सत्या बहिन]

6 माह की श्रवधि के भीतर समाप्त हो जाने चाहिये । यदि कोई पक्ष इसमें समय बढ़ाने हेत् तरह-तरह के बहाने प्रस्तृत कर इसको टालने का प्रयास करे तो किराया नियंत्रण ग्रधिकारी वह भ्रदालतों को यह निर्देश दिया जाय कि वह अपने विवेक से एक पक्षीय निर्णय लेकर 6 माह की ही अवधि में मामले को समाप्त कर तथा इस निर्देश का सख्ती से पालन किया जाये। ऐसी न्यायोचित व्यवस्था कानन बनाकर सरकार करे और सख्ती से उसका पालन करने का निर्देश भी दे। मान्यवर, उन गरीब मकान मालिकों को, जिनमें हरिजन तथा कमजोर वर्ग नागरिक, विधवा महिलाये विकलांग व्यक्ति तथा रिटायर्ड कर्मचारी हैं और जिन्होंने ग्रपने मकान किराये पर दिये हुए हैं। ये मकान रेंट कंट्रोल ऐक्ट के तहत ग्राते हैं जो कि कर्भा ग्रासानी से खाली नहीं ही पाते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री महोदया और सरकार मे निवेदन करनी हं कि इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिये कानून में व्यवस्था करे और उन्हें सूरक्षा दे और किरायेदारों से उनके मकान छड़बाकर ग्रावण्यकता पड़ने पर अनको दे। मान्यवर, जो मकान जर्जर हो गये है, जो प्राने हैं, ग्रगर उनकी 50 वर्ष से ज्यादा की अवधि हो गई है तो उनतो रेंट कंटील ऐक्ट से ग्रलग कर दिया जाये और उनके प्नर्निर्माण की इजाजत व स्रादेश मरकार दे क्योंकि कुछ ऐसे भी भवन व विस्तत परिसर है जिनको केवल एक परिवार घेरे हुए है। अगर उनके पुनिर्माण हो जायेगां तो उसमें मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग

खड़ी हो सकेगी और उसमें ब्रधिक परिवार रह सकेंगे। तो इस प्रकार की र्भंपत्तियों को किरायेदारों से मकत किया जाय। विधवायें, रिटायर गवर्नमेंट कर्मचारियों और हरिजन परिवार जो किसी भी प्राइवेट नौकरी में हों दूसरी जगहों पर मर्विम कर रहें हों या जो ग्रपना काम कर रहे हैं वे श्रपना मकान किराये पर दे देते हैं और बाद में वे परेशान होते मेरा निवेदन है कि उनको प्रदान की जाये और उनके खाली करवा उनको दिये जाएं। मकान ऑर किरायेदार के मभय बद्ध समझौते की व्यवस्था की जाए तथा उस समझौते पर ग्रमल करव्यवहार में लाया जाए।

मान्यवर, मैं स्राणा करती हूं कि
यह कानून जल्दी ही पारित होगा।
सभी मदस्यों ने इस बात की णंका
व्यक्त की है कि पता नहीं बन पायेगा
या नहीं या लागू हो पायेगा या नहीं
मैं निण्चित रूप में कहती हूं कि यह
कानून बनेगा और लाखों करोड़ों
लोग जो इससे बंधे हुए, है इससे
मंबंधित है इससे राहत मिलेगो
इन शब्दों के साथ मैं मंत्री
महोदया को धन्यवाद देती हूं और
समय देने के लिये स्रापके प्रति स्रपना
स्राभार प्रकट करती हूं।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, I welcome the introduction of the Delhi Rent Control (Amendment) Bill, 1988. But the Bill, as it stands, has certain lacunae. I feel that all the loose ends have not yet been tied up. I wonder if the recommendations of the L. K. Jha

Committee Report No. 11 of 1978 and the National Commission on tion, which submitted its report in 1987, have been considered before bringing this amending Bill. If these have been considered, I am wondering why the tent of Rs. 3500/- per month has been taken as the minimum rent because Jha's report had suggested Rs. 1500'- and the National Commission on Urbanisation had recommended not an amount, but suggested that any house which had an area of more than 80 square metres should be exempted from the Rent Control Act. To my mind, the limit of Rs. 3500|- is excessive. I was looking at some of the day and I found that papers the other there has been a public auction of a house in Maharani Bagh where the reserve price is Rs. 70 lakhs and the rent of that is Rs. 3200 - per month. That House has been rented by Modis and they have also sent a public notice saying that anybody who is going to bid for it should realise that this house is with them and that their company is not likely to increase that rent. As has been mentioned earlier, today it is difficult to say who is the landlord and who is a tenant. Therefore, the terms lessor and the lessee appear to be more correct to define it. Therefore, I feel that the limit of Rs. 1500|- as suggested by Shri L. K. Jha's report is possibly more appropriate than Rs. 3500|-. Now, the Commission on Urbanisation had suggested that the rent of various houses should be increased to compensate the owners for the cost of living index having gone up during the preceding years. They made the base year as 1974. It has been suggested that from 1974 to 1986, the owner should be com pensated 50 per cent and after 1986, he should be compensated 100 per cent. It that happens, then any house which was let out at Rs. 1500|- and if the owner of that house is given the compensation of even 50 per cent, it would be fetching

300 per cent more rent. It has been suggested in this Bill that after 3 years the increase should be 10 per cent. It would be more equitable if it was made 15 per cent.

If it is decided that the limit should be more than Rs. 1500/-, then I suggest that those people who have rented their houses in 1974 or before that should get compensation or they should get enhanced rent. Only after adding the additional rent or compensation, it should be brought up to what it should have been had the owner been getting the additional rent. That would compensate for the him price rise or the cost of living index. If this is not done, then the houses which have been rented before 1974 or during the last 10 years will not get any increase and the owners are going to be damned for ever. They are already damned in any case.

As far as commercial property is concerned, I had suggested an amendment. I feel that commercial property should Rent Control Act not come under the There should be no limit laid down.. Most of the commercial properties are really in the hands of big corporation or big business people and that is why 1 recommend that any commercial property should not have any limit. If you do want to have a limit, then please confine that limit, to tenants or the lessees who have a turnover of more than Rs. 50 lakhs a year.

3.00 P.M.

But my own suggestion is that in order to make it equitable for everybody, commercial property should be taken out of this Rent Control Bill.

Finally, I would like to reiterate that as far as the residential property is concerned. The limit should be made Rs 2,000. Rs. 3,500 is excessive as most of the Members have mentioned already, otherwise, some allowance should be made for those people who rented their

[Sardar Jagjit Singh Aurora]

property long time ago, and it should be then brought into account that if they were to get 10 per cent or 15 per cent rent, over a period of 15 years it will become more than Rs. 2,000, and then that limit could be increased. Otherwise, Rs. 1500 would be better. And I would reiterate again that the commercial property should be taken out. Thank you.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan):
Mr. Vice-Chairman Sir, I rise to support
this Delhi Rent Control (Amendment)
Bill, 1988. Sir, the tenant-landlord relationship from days immemorial is very
complicated. It is more complicated than
even the mother-in-law and daughter-inlaw relationship because...

THE VICE-CHAIRMAN (SHR1 JAGESH DESAI): Who is mother-in-law?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: ... in spite of best of relationship, we find all over the world that, in fact, tenants are never happy with the landlords or the house-owners, and the house-owners are never happy with the tenants.

Sir, I must say at the outset that the objects and reasons suggested by the Government are absolutely right most-needed. They have been needed for a long time. But, Sir, we have to be very careful. I am happy that most of our Members have supported this Bill in the name of poor house-owners. But, we have to be careful and we have to take care of the poor tenants also. What are we really going to achieve by this? We have to make sure that in this process we do not hurt the poor tenants who are also living there for ages. There is no Joubt that we need more houses. There is no doubt the Government has to give a very serious thought as to how do we develop the concept of more houses in our country. In this process of new policy, as I

have to be extremely said earlier, we careful. Here, I would like to mention a few points. Delegation of power to the Controller for fixing the standard rent is okay. We must formulate a full-fledged policy or guidelines so that the Controller does not become all powerful. And corruption comes into the picture again when he goes on putting any kind of rent as required by the landlords because this will lead to an unending corruption in the Controller's office. Referring to Amendment 3-sub-clause (b) of Clause 3-I suggest the construction cost and if possible the land price basis may be publicly mentioned every quarter or half yearly for the information of everybody because unless we do that, it will be impossible for them to have this pricing which will go on. Again the parties concerned should not have a complete freedom of fixing up the prices. Then, Sir, the automatic increase in rent every three years is good and it is a good amendment. I would like to say as the other Members have pointed out that 10 per cent inflation is not abnormal in three years. But this increment cannot go on for all times to come. We cannot go on increasing by 10 times over a period of 30 years or 40 years because basically the cost of the land and the cost of the building which was incurred some 40 years ago does not really mean or does not demand that the landlord must get about 4 or 5 times the rent after 30 years or 40 years. We must be careful on this point. Otherwise, a time might come when it will be impossible for the poor tenant to continue in that house. It is, therefore, I suggest that after seven or ten increments, as in the services where the increments not earned for the whole life, there is a limit after which the increments stop, there should be no more increases. So, we must think on these lines. Then, Sir there should be a special rate of incometax on the moneys received by way of rent. This is coming in the way of the

house building activity because it is taken as an unearned income and so the taxes are very heavy on this. If some consideration is given...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): There is no difference now. Every income is unearned income.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Thank you for the correction, Sir. If a special consideration is given on this income by the Finance Ministry through your Ministry, Madam, it will probably help the construction of more buildings without affecting the poor tenant or the poor landlord and this will also help to eneck the evasion of taxes by building owners. Madam,(Interruptions). Mrs. Vice-Chairman, Sir, I think that the rate of 15 per cent interest on unpaid rent is not enough in my opinion. If we really want to help the house owners, in this case I would support the house owners, we must increase this interest by a penal rate of 24 or 30 per cent because the rents must be paid in time by everybody concerned, all the tenants. Then, Sir, the payment by money orders is a good provision. That should be really followed. Then, Sir, about the tenancy system. I would like to say that all houses, including those taken by the Government and public sector enterprises should be vacated after the lease comes to an end. There are a number of cases where they have taken the houses on lease for 20 or 30 years, but there also most unfortunately there is no sanctity, and they do not vacate the houses. They go to the rent controllers and try not to release the houses at the whims of individual officers. That must go, Now, one point has been raised by most of the hon, Members and that is that at present under the provisions of the Bill only the houses of the Government servants are eligible to be vacated. I would like to say that the

cases of poor ex-M.Ps., ex-MLAs and ex-Ministers, public workers etc. should also be included there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : That means everybody.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Whatever social workers or whosoever can come within the jurisdiction of this Bill, they should be included because they are equally needing the houses when they do not continue as MPs, MLAs or Ministers.

Sir, this Bill does not cover the commercial and office premises. That also should be looked into because a number of commercial offices are also lying in the same position for a number of years as the dwelling houses.

Now, Ram Awadhesh Singhji and another lady Member made a point that the decision must be taken within six months. I think it is a very short time. The decision must be taken in a teasonable time. In a democracy I do not think six months is enough. Reasonable time may be given. I think we can put the limit to three years. But you must give time to the tenant to get a new house. At the moment, for a poor tenant it is impossible to get a new house if only a time of six months is given.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Even after six months it is impossible for him to get a house.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: It is impossible.

Now another point was made by Ram Awadhesh Singh and General sahib, namely, reducing the figure to Rs. 1000 or Rs. 1500, as recommended by the Jhu Committee. In the Bill Rs. 3,500 has been put as the basis. We are talking about poor house owners. If a house-owner is poor, that means his house is

[Shri Santosh Bagrodia]

small, or the rent is not Rs. 3500,-. Obviously, the rent is lower. Similarly, have we taken care to see as to who lives in those houses? It is the poor people. These houses are given to tenants who are equally poor themselves. They cannot afford even Rs. 1000 rent. For them it will be a great blow if they have to leave the house as tenant. This limit of Rs. 3500 relates to houses in today's context, because there was no such rental of Rs. 3500 ten years earlier, even in Delhi. So, this relates to new constructions. Our idea is to develop housing and encourage housing activity. So I would suggest that this limit should be increased to Rs. 5000 - without affecting the policy of the Government.

With these words I thank you for the opportunity given to me to speak on this Bill.

श्री राम चन्द्र विकल : उपसभाध्यक्ष महोदय यह दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक जो यहां श्राया है, मैं उसका हृदय से ममर्थन करने खड़ा हम्रा हं। पहले तो झा कमीणन ने जो मुझाव रखे है, उनका मैं हृदय से समर्थन करता हं । उन्होंने काफी अच्छे मुझाव इसमे रखे हैं मैं तो चाहुंगा उनकी बातें मानी जानी चाहिए । दूसरा में एक बात यह कहना चाहता हूं कि किराया कानून की दिक्कत सारे देश मे जैसानजमा जी ने भी कहा और यह केवल दिल्ली के लिए लाया गया है। केन्द्र सरकार या तो राज्य सरकारी को इस अञ्छे कान्न के बारे में, जो ऋादेश दे यहां पास हो रहा है, कुछ या सुझाव भेजे । लेकिन इसको देशव्यापी बनाया जाना नाहिए क्योंनि गर समस्या सारे देश में बनी। हुई है, त कि कैवल दिल्ली । चुकि में दिल्ली

एक केन्द्र-शामित राज्य है, इसलिए श्राप इसके लिए बना रहे हैं क्योंकि यहां कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो ग्राप जो भी केन्द्रशामित इलाके हैं, ्वाहे अंडमान-निकोबार है चेडीगढ़ है, या ग्रन्य दूसरे हैं, वहां के लिए भी यह कानून लागू होगा या नहीं ? यह सारे देश में जो भी केन्द्र शासित राज्य हैं, उन सब में लागु होना चाहिए।

उपमभाध्यक्ष जी, तीमरा यह है कि कही मकान मालिक दुखी है, कही किराएदार दुखी है। अप्रव दोनों को सुखी करना तो मृश्किल है क्योंकि सुख-दुख की परिभाषा करना अर्जीब है। श्रब सत्ता मिल जाय तो दुखी, सत्ता न मिलने पर तो दुखी होते ही है, संतान हो जाय तो दुखी और बिना संतान केभी दुर्खी शादीन होतो भी दुर्खी और हो जाय तो भी दुखी । इस तरह मैं किस किस को बताऊं सब दुखी ही होते हैं, मुख दुख की कोई नहीं होती।...! (व्यवधान)

विकास मंत्री (श्रोमती मोहसिना किदवई) योगा सीखो तो दुर्खी, न सीखो तो दुखी।'''

श्री राम चन्द्र विकल : योगा वाला सुखी ही सुखी होता है। स्राप सीख कर देख लो। योग तो है ही मुख के लिए खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता यह विधेयक भी ऐसा है, जैसे मैने उदाहरण दिए कि नौकरी मिल जाय तो दुखी और न मिले तो दुखी ही दुखी है। इमी तरह मालिक हो जाय तो द्खी और किराएदार रहेतो दुखी दोनो ही दुख की हाल में हैं।

सात्यवर मैं संदोध में यह कहना चाहता ह कि यह गरीब किराएदार के हक में होना चाहिए और गरीब मकान-मालिक के हक में होना चाहिए न तो यह बड़े मालिक के हक में होना चाहिए और न ही बड़े किराएदार के हक में होना चाहिए। इसको कुछ ऐसा संतुलित कर दो कानून को कि यह हर तरह में परेशान लोगों की मदद कर द।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : श्राप बताइए कि कैसा किया जाय?

श्री राम चन्द्र विकल विशेषकर यह सरकारी कर्मचारियों के लिए स्राप ज्याद ला रहे है। मैं यह कहना चाहता है कि सरकारी कर्मचारियों में जो दुखी लोग है, उनको यह भृविधा मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। चाहे वह प्राइवेट वाला हो, चाहे व्यक्तिगत हो, कोई भी क्यों न हो कोई श्रेणी नहीं लगानी चाहिए। इसमें यह जो स्विधा ग्राप मरकारी कर्म-चारियों को देना चाहते है, उसमें व्याख्या तो बहुतों ने की है, मैं तो कहना चाहता हुं कि इसमें श्रेणी लगाओ ही नहीं, इसे हटा दो ताकि यह जो सुविधा है वह पा सके उसको यह मुविधा मिल जानी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके उद्देश्यों में भी कहा गया है कि यह मकान की बढ़ोतरी में मदद करेगा। डी.डी.ए. जो यहां दिल्ली में बना रहा है, वह नो-प्रोफिट नो-लोस पर बनाकर गरीबों को दे दे। उसकी स्त्राप सीमा तय कर दो। मैं यह नहीं कहना कि हरेक को दे दो। बैंमे यह म्हीं करना जगध्यक्ष

जी. लागू को केन्द्रीय मधर्नमेंट ने और एक दो जगह यह चालू भी हुई।

मुझे गाजियाबाद का एक तजबी है। वहां गवर्नमेंट ने नो प्रोफिट नो लाम पर मकान वनाए । जो किरायेदार थे उनसे फार्म भरवाए गए कि नो प्रोफिट नो लाम पर इन किराये दारों को 8 हजार में नीचे का फलेट और 7 हजार में उपर का देगी। यह सन 60 की बात है । उस बान को 18 माल हो गए है। मेरा यह कहना हैकि नो प्रोफिट नोलास की जो बात लागू की गयी वह सारे देश में क्यों नहीं लाना चाहते ? ग्राज जमीत और मकान के पेशे में बड़ा मनाफा है । मैं उमकी व्याख्या नहीं करना चाहता। दिल्ली और वड़े शहरों के पास तो यह घंधा हो गया है कि यहां जभीन खरीद लो और मालदार हो जाओ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): यह कैसे करसकते हैं ग्रार्वन लेंड मीलिंग एक्टमें?

श्री राम चन्द्र विकल : गर्वामेंट ने लेंड मीलिंग एक्ट जो ग्राने लिए लगाया है, वह प्राइवेट के लिए नहीं लाना चाहती है । इसी कारण ग्राज मामूली बाबू और ग्रिश्वारी यहां लाखों की मंपिन पैदा कर के कारों में उड़ने फिरने। हैं लिहाजा गर्वामेंट को चाहिए कि वह नो प्रोफिट नो लाम की स्कीम केन्द्र प्रणामित राज्यों में चलाए और सारे राज्यों में भी चालू कराए। राज्यों में भी केन्द्र मरकार चला मकती है इससे गरीबों का बहुत भला हो मकता है और बड़े रेट पर जो जमीनें

☐ [श्री रामचन्द्र विकल]
बिक रहीं हैं, उस समस्यों को समाधान
हो सकता है।

Delhi Rent Control

उपसभाध्यक्ष महोदय, भ्राज कई प्राने किरायेदार है, जो बहुत छोटे-छोटे किराये पर रह रहे है। स्रपना दावा किए हिए हैं, मकान से निकलते नहीं हैं। ग्राप उनके किराये मार्केट रेंट के मुताबिक बढ़ा दो चा उसमें कोई हो । लोग दस-दस रुपये के किराये पर रह रहे हैं और निकलते नहीं है। स्नाज बड़े-बड़े कारखाने दार किराय पर रहते है । मैं बहुत लोगों को जानता हुं उनमे पूछी कि आप इतने बड़ें उद्योगपति है, क्या किरायं से रह रहे हो, कहते हैं कि मकान की लागत का जो सूद ब्राएगा उसमे किराया सस्ता पड़ता है । उनकी यह बान सही है इसलिए ऐमे उद्योगपतियों के लिए और ज्यादा तनख्वाह वालीं पर किराये की सीमा रख दो कि इतनी श्रामदनी वाले को किराये के मकान की जरूरत नहीं है। यह सीमा लगायी जा सकती है कि बड़ें लोग किरायें पर न रहे। श्राप तीन हजार से ऊपर तनस्वाह की सीमा लगा दो फिर चाहे उसमें कोई भी हो तब मैं समझता हूं कि इस कानून का ज्यादा उपयोग होगा वैसे इसे उपयोगी बनाने की काफी कोशिश की गर्या है। मै इसके लिए धन्यवाद देता हं। श्रीमती प्रतिभा सिंह के जो सुझाव हैं, मैं उनके सुझावों का समर्थन करता हूं । उन्होंने बड़ी गहराई से म्रध्ययन किया है। अंत में उपसभाध्यक्ष जी मैं एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि गरीव किरायेदार और गरीब मकान मालिक की सुविधा के मुताबिक यदि

कोई और संशोधन हो तो उसे श्राप जोड लें।

श्री मुख्तयार सिंह मलिक (हरियाणा) : ग्राप बताएं।

श्री रामचन्द्र बिकल : मंत्री महोदया, विद्वान हैं । मैंने इन्हें नो श्रोफिट नो लाम का मुझाव दिया है और भी स्कीम लायी जा सकती है। मेरे साथ दो दिन बठ लीजिए, मैं बहुत भुझाव दे दूंगा। ग्राप शौक से यह कानून पास कर लें, लेकिन एक व्यापक विधेयक सारे देश के लिए कैसा हो, ग्राप को इसकी हप रेखा बनानी पडेगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : इस पर नेशनल हाउसिंग पालिसी पर विचार के समय चर्चा होगी।

श्री रामचन्द्र विकलः ग्राप उसमें
सुझाव ले लीजिए और राष्ट्रव्यापी
ग्रावास नीति बनाएं। केन्द्र सरकार उसमें
मध्यस्थता करें। व्यक्ति लोगों की
संपत्ति रोकने में यह बिल सहायक
हो सके तभी यह उपयोगी होगा।

श्रीमती मोहसिना किदवई :
वाइस चैयरमैन साहब, मैं इम दिल्ली
रेन्ट कंट्रोल ग्रमेंडमेंट बिल—1958
के ऊपर जिन माननीय सदस्यों
ने इसमें भाग लिया और ग्रपने विचार
व्यक्त किए उन सबकी मैं बहुत ग्राभारी
हूं जैमा कि ग्रापको मालूम है, मान्यवर
कि यह दिल्ली कन्ट्रोल एक्ट—1958
में बना था और उम वक्त के हालात
दूसरे थे ग्रब 20 साल हो गए इस
एक्ट को और यह बड़ी पुरानी मांग
थी दिल्ली के लोगों की और बहुत

दिनों से यह पैंडिंग था 4 साल के बाद हम इसे हाउस में ला सके और हमें उम्मीद है कि यह इसी सेंशन में लोक मभा में भी पास हो जाएगा।

[30 AUG. 1988]

बहुत से मैम्बरान ने इसमें अपनी रही बातें कहीं। मैं पहले ही कह थी कि सन् 1958 में जिस समय यह एक्ट बना था उस वक्त के और भ्रब के हालात में बहुत फर्क है। उस वक्त जो लैंड लार्ड की परिभाषा थी लार्ड से लगता है किन्तु कि बहुत पैसे वाला ग्रादमी है, जिसकी बहुत बड़ी प्रापटीज और जसवंत सिंह जी ठीक कह रहे थे, मैं भी उनमें सहमत हूं कि लैंड लार्ड का ग्रब जामाना नहीं रहा ग्रब ही ठीक है। हाउस ग्रानस और जैसा कि ग्रापने ग्रभी कहा कि तीन लाख रुपए तक जो किराया रहे हैं और जो दे रहे हैं वे दोनों ग्राते हैं। तीन में एक ही श्रेणी जिसकी क्षमता लाख रुपए तक की है उसे हाउस ग्रानर्स नहीं जाएगा उसकी भी लार्ड ही कहा जाएगा जो हालत उस वक्त वक्त पूरी कोशिश यह थी कि टैनैन्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, खास तौर से जो गरीव टैनेन्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उसके लिए सन् 1958 में यह विधेयक बना था। इसमें संशोधन करने की जो जरुरत महसूस हुई वह इसलिए कि दोनों तरफ से प्राबल्म होती है--हाउस भ्रावनर्स समझता है कि उसका हक मारा जा रहा है, प्रापर्टी का उसे जितना मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है जाहिर है जो टैनेन्ट है वह गरीब है, 2465 RSS/88-23

मिडिल क्लास का है वह यह चाहता है कि सस्ते दाम पर उसको मकान मिले । तो ये सारी चीजें लेकर इसमें संशोधन किए गए है और पूरी तरह से कोशिश की गई है कि बैलेंस रखा जाए between the tenants and the landords, उसके तहत यह एमेंडमेंट न्नाए हैं तो मैं पहले तो हमारी मालवीय जी का प्रस्ताव है कि यह सैलेक्ट कमेटी को रैंफर कर दिया जाए. मैं समझती हं कि इसकी कोई जरुरत नहीं है । कोई नया विधेयक नहीं है। इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं और जो वाकी बैकग्रांऊड वह है जो झा कमटी की रिकमैडेशन थी, जो पैटिशन कमेटी ने वात कही थी उसकी बिना पे और जो कमीशन श्रान श्रारगैनाइजेशन है चार्ल्स कौरिया की चैयरमें निशिप में उनकी जो अंतरिम रिपोर्ट ग्राई उसमें और उन्होंने फाइनल रिपोर्ट अभी पिछले हक्ते करी है। इन तमाम चीजों को देखते हुए यह सशोधन यहां पर लाया गया है। मालवीय जी के इस प्रस्ताव से मै बिलकुल सहमत नहीं हूं कि इसको रैफर कर दिया जाए । काफी इस पर गौर हम्रा और लोगो से बातचीत करने के बाद ही यहां एमेंडमेंट मूव किया गया है। तो मैं मालवीय जी से यही अन्रोध करंगी कि वह ग्रपना प्रस्ताव वापस लेलें।

> कुछ मैम्बरान ने यहां जो बात कहीं उसमें जो मौरारका साहब सबसे पहले बोले उनका कहना यही था कि यह जो है यह सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेट के लिए **म्राया है और साढ़े तीन हजार** की जो सीलिंग रखी गई है और उसके

[श्रीमती मोहसिना किदवई] ऊपर से जो छूट दी गई है वह कोई लिटिगेशन कम करने के लिए नहीं है। मोरारका साहब यहां पर नहीं हैं। मैं उनसे यह कहना चाहती थी कि यह हाऊसिंग एक्टिवटी को बढाने की बात 3,500 वाली नहीं है उसके लिए सैक्शन 39 मौजूद है जिसमें हमने कहा है कि लिटिगेशन कम करने की बात और लिटिगेशन कम किस तरह से होगें कि यह कुछ लोगों को प्रोसिज़र के 'जरिए जिसमें गवर्नमट सर्वेंट की बात कही और मान्यवर उस समय ग्रापने बहुत सही बात कही कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो लोग है वह जब तक गवर्नमट सर्विस में होते हैं उनको मकान मिलता और वह उस वक्त तक उसको खाली नहीं करते जब तक उनका मकान खाली न हो । इसलिए ग्राम्ड फोर्सेज को, ग्राम्डं पर्सनेल को यह दी गई है कि वे रिटायर होकर जब ग्राए तो ग्रपना मकान उनको वापस मिल सके सब जानते हैं कि वे किस तरह से हमारी सीमाओं की करते हैं. इसलिए उनको यह छूट दी गई है और उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनकी विधवाओं को यह सुविधा दी गई है. साथ ही साथ चुकि दिल्ली का यह मामला है, इसलिए दिल्ली के ग्रधिकारियों और कर्मचारियो को भी इसमें शामिल किया गया है और इसमें दो राय नहीं हैं कि गवर्नमट सर्वेंट को यह स्विधा दी गई है क्योंकि वे सरकारी मकानों में रहते हैं और जब रिटायर होते हैं तो उनको रहने के लिए मकान चाहिए. इससे दो फायदे हैं. एक तो सरकारी ग्रावास हमको खाली

मिलता है हम दूसरे कर्मचारी को दे सकते हैं, दूसरे उनको भी ग्रपना घर रहने के लिए मिल जाता है और उनको दूसरा घर तलाश नहीं करना पडता तो इस विल के तीन आब्जे-क्टस हैं जो साफ तौर पर गए हैं कि हाउसिंग ऐक्टिविटी बढ़ाएं लिटिगेशन कम हो और टीनेंट्स मकान मालिकों के बीच संबंध मधर हो मैं नहीं कहती कि इसके होने से हाउसिंग ऐक्टविटी एकदम बढ़ जाएगी, लेकिन यह उस तरफ कदम हैं कि हम हाउसिंग ऐक्टिविटी **बढा** □.□.□.

(Amdt). Bill, 1988

बहुत से मैम्बरान ने यह बात कही, जसवंत सिंह जी ने कही कि 3500 रु. क्यों रखी गई है. झा कमीशन ने 1500 रु. के लिए कहा था. झा कमीशन ने 1982 में अपनी रिपोर्ट दी थी कि 1500 र. करना चाहिए में समझती हं कि 6 वर्ष बीत गए तब से और बहुत से मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग भी 3 हजार या 5 चार हजार रुपया किराया दे रहे होंगे, इसलिए उसको बढाकर 3500 रु. किया गया

एक बात हमारी रेणुका चौधरी जी ने भी कहीं और मैं समझती हूं कि वाजिब बात कहीं कि कामशियल और रेजिडेंशल एरियाज के बीच में कोई बाइफरकेशन होना कोई लाइन खींचनी चाहिए. दिल्ली जैसे शहर में बहुत कोशिश की गई है, लेकिन इतना मुश्किल है कामशियल और रेजिडेंशल एरियाज को अलग करना क्योंकि एक छोटे से मकान

357

में दुकान भी है, श्रागे की दकान है, पीछे वह खुद रहता है या ग्रागे चाय की द्कान है और पीछे रहने की जगह है. मैं उनकी मानती हं कि कामिशयल एरियाज को ग्रलग करना चाहिए, लेकिन जो ग्रागे कंसटक्शन हो उनमें इन चीजों की शर्त होगी और कोशिश यह की जाएगी कि जो कानुन है उसका पालन हो. लेकिन जो पूरानी दिल्ली है उसको हम अलग कर सकते हे. जसवंत सिंह जी ने कहा और वे ज्यादा दिल्ली को जानते हैं कि यहां कार्शियल एरियाज भी हैं और रेजिडेंशन एरियाज भी है. छोटे छोटे मकानात हैं उनमें विजिनेस भी होता है, धर भी है. उसको ठीक करने की हमने कोशिश की थी. लेकिन कठिन काम है.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That you can leave. There are another areas where commercial are separate. That you can do,

श्रीमतो मोहसिना किदवर्ड : मैं देखुगी कि कैसे इस काम को किया जा सकता है, कामशियल और रेजिडेंशल को भ्रलग भ्रलग किया जा सकता है.

श्री जगजीत सिंह अरोड़ा: जो काम शियल काम कर रहा है वह कामशियल एरिया है. यह तो मुश्किल नहीं है कि कौन दुकान चला रहा है और कौन महान में रह रहा यह जस्री बात है कि जो कामशियल एरिया है उनको ग्रलहदा भी करेंगे यह बड़ा काम होगा क्योंकि से लोग, खासकर गवर्नमेंट सरवेंट जिन्होंने

प्राविडंट फंड लेकर छोटे-छोटे फ्लैट खरीदे हैं, उनको कामशियल एरिया में 3 रु. स्क्वायर फट मिलता है और और कनाट प्लेस में 30 ह. स्क्वायर फुट मिलता है. बहुत से आदमी हैं है जिन्होंने स्रपनी जिन्दगी का सारा पैसा लगाया है क्योंकि पैसे की कीमत हर साल कम होती जा रही है, दूसरी तरफ कास्ट ग्राफ लिविंग बढ़ती जा रही है. तो इसको भी सोचने की जरुरत है.

श्रीमती मोहसिना किदवई भी हम सोचेंगे. जब भी पूरा सर्वे होगा तब हम देखेंगें कि किस तरह से इसको किया जाए.

VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): By this provision, the commercial ones are benefited because the same limit is there.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Yes, the same thing is for them.

श्री राम श्रवधेश सिंह . गरीबों के के लिए भी सोचा जाय।

श्रीमती मोहसिना किदबई ' गरीबों के लिए भी सोचा गया है। श्राप गरीबों की बात करते-करते कह रहे थे कि 10 प्रतिशत कम है और बहा देना चाहिए ... (ब्यवधान) मैं स्रापसे यह बात कह रही थी कि वाकई जो मेम्बर्ज की फीलिंग्ज है, जो हाऊस ओंनर्स हैं उनको भी कोई बड़ा भारी विजनेस मैन नहीं समझना चाहिए, बड़े मिडल क्लास के भी बेचारे लोग हैं जिनका एक ही घर है और उसमे वह अपनी रोटी चलाते है। तो इसमें हमने पूरी कोशिश की है कि दोनों को बैलें स और इममें जो ग्रमेडमेंटस हमने किये है, एक तो सैंक्शन 3 में ही

[श्रीमती मोहसिना किदवई] ही है कि साढ़े तीन हजार तक की छुट दे दें। हमारा मतलब यही था कि हम बडे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते । जो साढ़े तीन हजार रूपये किराया दे सकता है, उसकी आमदनी कम से कम दस-बारह हजार जरुर होगी । इसलिए ऐसे ग्रादमी को हक नहीं है कि उनको हम यह प्रोटिक्शन दें। उससे नीचे वाले को हम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और साथ ही साथ जो हाऊस ओनर्स हैं, उनको भी देना चाहने है ताकि उनको भी थोड़ा बहुत तसल्ली रहे और वह नये हाऊसेज के लिए सामने स्नाएं।

जहां तक स्टेण्डर्ड रेंट की बान है, सेक्शन (6) में हमने स्रमेडमेंट किया है । भ्रभी तक साढ़े सात या प्रतिशत था, जिसको बढा कर प्रतिशत 10 किया तक जिसको भी रेट बढाने बात होती थी. उसको कोर्ट मे जाना पड़ता था और लिटिगेशन इतनी होती थी कि उसमें सालहासाल गुजर जाते थे और फैसला नहीं होता था इसलिए उसमें हमने एक नया सेक्शन इनसर्ट है कि वह 10 प्रतिशत हर तीन साल के बाद वह किराया रिवाईज किया जा सकता है मैं समझेती हूं कि यह टेनेन्ट लैंडलार्ड के ग्रापस की म्यूच्युल कनसेंट हो जाएगा । इसमें लिटिगेशन की कभी जरुर होगी, ऐसा मैं मान करके चलती हं।

सरदार जगजीत सिंह श्ररोड़ा : माफ करिए , यह शुरु कव से होगा? श्रीमतो मोहसिना किदवई: जत्र भी इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा।

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : नहीं, जिन्होंने 1975 से मकान दे रखे, उनके ऊपर क्या होगा[?]

श्रीमति मोहसिना किश्वई: यह तो है कि तीन साल के बाद सकते है ... तीन साल का जिनका इसमें शामिल हुन्ना है रेंट कंट्रोल में--तीन साल की अवधि के बाद वह बढ़ा सकना है। जहांतक इसका सवाल है, एक स्रमेंडमेंट है श्री जमवंत सिंह जी और तथा लोगों का भी कि नोटिफिकेशन का लफ्ज क्यों रखा गया है ? यह सब को मालूम है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होती कोई चीज मान्य नहीं होती । इसलिए यह कहा गया है कि जैसे ही गजट नोटिफिकेशन होगा, इसको जाएगा। ग्रभी तो यह लोक सभा में पास होगा लोक सभा में पास होने प्रेजीडेंट की वाद यह के लिए जाएगा और उसके नोटिफिकेशन होना तो मैं यह सकती हं कि इसमें ज्यादा देर लगने वाली नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): What the House would like to know is whether these three years will start from the date assent is given by the President or after you issue the notification.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: After the notification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHR) JAGESH DESA1): Suppose you issue the notification after six months, then what will happen?

श्रीमती मोहसिना किदवई: हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको करें। (व्यवधान)

हमने इसमें एक नपा सेक्शन जोड़ा है, जो सब ने वेलकम किया है-एक्स-सर्विममैन के लिए और सिविल सर्वेन्टस के लिए---और यह ऋाफिशल ऋमेंडमेंट जो हमारे चौधरी साहब ने शुरुम्रात की थी--प्रतिभा जी और नाजमा हेपतुल्ला जी का भी उसी बेसिज पर है कि विडोज को भी इसमें शामिल किया जाए, तो म्रापने देखा होगा कि एक म्राफिशल अमेंडमेंट मैंने किया है कि विडोज को भी इस केटेगरी में शामिल किया जाए। इसका मतलव यह नहीं है कि एक्जिस्टिंग ला है। उसमें यह प्रोवीजन है कि रेट कंट्रोलर के पास स्नाप लिटिगेशन में जाकर ग्रपना पोजेशन ले सकते है। यह प्रोवीजन एक समरी प्रोसीजन के लिए किया गया है ताकि जल्दी से उनको मकान मिल जाए और इसमें कोशिश की है कि एक ही ग्रपील के बाद और वह भी ला पर बेस करेगी ग्रपील और उसके बाद उनको मकान का पोजेशन मिलेगा जो खुद रहना चाहें। जो खुद अपना मकान लेकर उसमें रहना चाहे, उनके लिए यह समरी श्रोसी जर होगा और वह रहेंगे । इन केम अगर वह फिर उसको दुबारा किराये पर देते हैं, तो फिर उनके लिए सजाभी होगी और उसमें जो टेनेन्ट रहता था, जिसको इक्विट किया गया था, उसको भी यह हक होगा कि फिर से वह मकान ले मकता हैं और उसमें लैंडलार्ड के लिए सजा भी मुकार्रें की गई है। उसको छह महीने तक की सजा भी हो सकती है।

अगर वह फिर से मकान किराये पर दे। यह प्रोविजन हमनें किया है टेनैन्ट के हम में।

डा. (श्रीमती) नाजमा हेपतृल्ला: यह बहुत इम्पोर्टेन्ट ईशु है इसलिए मैं एक बाग जानना चाहती हूं। जसवंत सिंह जी ने और मैंने भी लैंडलोर्ड के बारे में कहाथा वह जरुर कर दें। उसमे किसो की डजाजत लेने की जरूरत नहीं, ला, मिनिटरी की जरूरत नहीं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : What about poorer tanants which Mr. Bagrodia raised ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रो दलबीर सिंह): ग्राप नहीं थी उसके पहले यह बात ग्रा चुकी है।

श्रोमती मोहसिना किदवई : चौबरी साहब की एक अमडमेंट है कि जो टेनैन्ट है ग्रगर उसके मकान बना लिया है तो उस के दर्खास्त के ऊपर उसको वहां से एविक्ट कराया जा सकता है। मैं चौबरी साहब से कहंगी यह नेक्णन 14-1(ए) में आलरेडी एग्जिस्ट करता है उसे एविक्ट करा सकते हैं। हमने टैनैन्ट को यह हक दिया है जैसा औरों ने भी कहा है 10 साल तक उनको छुट होगी कि जो स्टैंण्डर्ड रेंट बनता है वह दे सकता है और उसके पीछे भी यह लोजिक है, उसके पीछे भी एक कारण है कि पहले जमाने में यानी 1958 में जिल्होंने मकान बनाया था उन्होंने ग्रयनो पंजी लगाकर मकान बनाया था, कहीं से कर्ज नहीं लेते थे। ग्रब तो 99 9 परसेट लोग बैंक से कर्ज 363

[श्रीमती मोहसिना किदवई] लेकर मकान बनाते हैं। बैकों की जो किंग्त है या उनका जो कर्जा होता है वह 10 साल तक पूरा कर दें इसलिए कोशिश की गयी है कि 10 साल की उनको छटदो जाये ताकि वे ग्रपना कर्जा वापस कर सके। पहले लोग तमाम मकान बनाते थे ग्रपनी पंजी लगाते थे और किरायेदार से पैसा वसुलते थे। म्रब वैक से कर्जा लेते हैं। इसलिए यह रखा गया है कि ताकि 10 साल में ग्रपने कर्जे से मुक्त हो जाये। टैनैन्ट को भी यह स्विधा दो गयी है कि वह अपना मकान इस बीच बना ले। पहले टेनैन्ट ग्रपना मकान नहीं बनिताथा। उसको यह डर रहता था कि अगर मकान बनाया तो उसका एविक्शन हो जायेगा। टेनैन्ट को यह सहलियत ताकि हाउसिंग इसीलिए दी गयी है एक्टिविटी बुस्टग्रप हो जाये।

एक चीज हमने इसमें कही है कि 15 परसेंट इंटरेस्ट हाउस म्रानर्स को, लैंड लाडं को मिले। यह हमने इसलिए किया ताकि हाउस म्रानर्स को वक्त पर किराया मिले। ये सारी चीजें हमने की हैं। वैसे इसमें काई खास वात कहने की नहीं थी। जसवंत सिंह जी ने एक बात कहीं वह बात सही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह सं ग्राबादी बढ रही है, जिस तरह से ग्ररबन सीन है, लोग बडे शहरों की तरफ भाग रहे हैं दिल्ली का मुझे मालूग है दो से ढाई लाख तक लोग सालाना माइग्रेन्टस हैं जिनके लिए ग्रापको इंतजाम करना होता है, रहने का, खाने का और मकान का सबसे ज्यादा। म्राज हमारी कोशिश यह है कि दो चीजों में तो हम सेल्फ स्फिशियेट हो गये--फूड के मामले में और कपड़े के मामले में लेकिन जो तीसरी बेसिक जरूरत है इंसान की

कि हमारे सर पर छत भी हो, हर हिन्दुस्तान में रहने वाले को एक मकान मिले उसके लिए कोशिश की जा रही है। श्रभी नेशनल हाउसिंग पालिसी जिसका जिक किया गया था जब वह ग्रायेगी तो डिसकस होगी, हमारी पूरी कोशिश है ईमानदारी के साथ कि हम इन तमाम चीजों के साथ-साथ हिन्दुस्तान में रहने वाले लोगों को न सिर्फ एक घर बल्कि ऐसा घर जिसमें सेहतमंद माहौल, सेहतमंद जीवन बनकर रह सके जिसके जरिये से उनकी पूरी जिन्दगी के अपर छाप पड़े। यह हमारी कोशिश है जितने अमेन्डमेंट्स हैं मैं समझती हं कोई ऐसा नही है जिनके ऊपर कोई वाद-विवाद की जरूरत हो। मेरी हाउस से यह गुजारिश होगी कि वह इन भ्रमेंडमेंट्स को मंजूर करे।

श्री राम चन्द्र विकल : चंडीगढ, अंडेमान-निकोबार के बारे में मैंने कहा था . . .

श्रीमती मोहिसना किदवई : मैंने बताया कि यह दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है। यह कोई नया एक्ट नहीं बना रहे हैं। हर स्टेट का ग्रपना ग्रलग-ग्रलग रेंट कंट्रोल एक्ट है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAG-GESH DESAI): So much decussion was there on this Bill. It was discussed threadbare.

श्रीमती प्रतिभा तिह : मेरा सुझाव था क्लाज 8 में ग्रापने जो हटाया है उसको रहने दिया जाय।

श्रीमती मोहिसना किदवई: मैं ग्रापकी बात पर भी ग्रातो हूं। श्री जसवंत सिह जी ने कहा था कि इस क्लाज में—

House built by tenants have been excluded.

यह इसिलए हटाया गया है कि लोग फेमिली ट्रस्ट और प्राईवेट ट्रस्ट बनाकर फायदा उठाना चाहते हैं, इसिलए यह सोचा गया कि इस लफ्ज को हटा दिया जाये तािक लोग जो नये नये ट्रस्ट बनाकर, फेमिली ट्रस्ट बनाकर फायदा उठाते हैं वह न कर सकें।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, दो ग्रलगग्रलग पहलू हैं। एक सवाल था प्राईवेट
ट्रस्ट का और दूसरा सवाल था जो वर्ड
"बिल्ट" हटा दिया गया है वह पहले
एक्ट में था, लेकिन ग्रब उसको हटाया
जा रहा है। उसके रहने में कोई नुक्सान
नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि
Private trusts I hope will not exclude
the worthwhile activities of charitable
trusts. I want to understand what the
hon. Minister means by 'private trust'.

श्रीमती मोहिसना किदवई: यह ग्रालरेडी उसमें है, सेक्शन 22 में है। फेमिली ट्रस्ट और प्राईवेट ट्रस्ट के नाम पर लोग प्रोटेक्शन न ले सकें, इसलिए इसको किया गया है।

श्रीमती सत्या बहिन : इस बिल को दिल्ली के बाहर भी लागू किया जाय।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : यह बिल तो सिर्फ दिल्ली के लिए है।

श्रीमती मोहिसिना किंदवई : यह तो सेक्शन 22 में है। इसमें यह बात ग्राई है ---

"Where the landlord in respect of any premises in any company or other body corporate or any local authority or any public institution and the premises are required for the use of employees of such landlord or in the case of a public institution, for furtherance of its activities, then, notwithstanding anything contained in section 14 or any other law."

श्री जसवंत सिंह: मेरी ग्रर्ज यह है कि ग्राप प्राइवेट ट्रस्ट को छोड दीजिये। प्राईवेट ट्रस्ट का मसला नहीं है। मेरा कहना यह है कि "बिल्ट" लफ्ज पुराने एक्ट में है, लेकिन इस एमें डमेंट विल में ग्राप उसको हटा रही है। यही ग्रभी तक समझ में नहीं ग्रामा कि ग्राप इसको क्यों हटाना चाहती हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): She will inform you afterwards.

श्रीमती मोहसिना किदवई : इसका सिम्पल-सा रिजन यह है कि हाउसिंग एक्टीविटीज को हम बूस्ट ग्रंप करने जा रहे हैं और जो ग्रंपने मकान बनाना चाहने हैं उनको फरदर इनिशिएटिव दिया जाय ताकि वे ग्रंपने हाउसेज बना सकें, उनको इविक्ट न किया जा सके।

डा॰ (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : महोदय, जो बात श्री मदनी जी कहना चाहते हैं उसी विषय में मैं कहना चाहती हुं और मैंने यह बात अपने भाषण में भी की है कि जो पब्लिक ट्रस्ट हैं और जो बक्फ प्रोपर्टी है---की It is not necessary that it should be a Muslim trust or a trust for Hindus or a trust for Christians. जितने भी रिली-जियस ट्रस्टस हैं वे पब्लिक के बेनिफिट **ਜਿ**ए बनाये गये हैं इसलिए उनको तो इंसेंटिव दिया जाना चाहिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): Provided it is a public trust.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTUL |
LA : Naturally जितनी भी वक्फ की |
प्रापटों है वह पब्लिक के लिए होती है । 4

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ${}_{1}\Lambda G$ -ESH DESAI): It is a public trust.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTUL-LA: But that word is not there. So, it has to be very clearly mentioned.

मैं तो यह कहूंगी कि अगर मंत्री महोदया अभी मान ले तो उनको मुबारकवाद है और अगर न मानें तो लोकसभा तक जाते जाते मान ले। मगर उनको यह मान लेना चाहिए।

श्री (मौलाना) ग्रसद मदनी उत्तर प्रदेण: वक्फ प्रापर्टी की हालात बहुत खराब है। उनकी ऐसी बुरी हालत है कि उनका बजूद बचार्य रखना मुश्किल है। उनके लिये ऐसी सूरतेहाल है। उनकी मरम्मत नहीं होती है। इसलिए उनकी एक्जंप्ट किया जाय।

डा० (श्रीमतो) नजमा हेपतुल्ला: कोई गरीब नही रहता है। बड लोग रहते है। मैं मौजूदा मिसाल दे रही हूं। दिल्ली की एक मस्जिद के अंदर कुछ ग्रादिमयों ने होटल लगा रखे हैं। कोई गरीय नहीं हैं, बहुत पैसे वाले है।

श्री (मौलाना) ग्रसद मदनी: जहां का मार्केट रेंट 10 हजार रुपया है उसका किराया सिर्फ 50 रुपया माहवार है। कोई मरम्मत का काम नहीं हो सकता है। इसके बजूद को बनाय रखना बडा मुश्किल है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): Mr. Maulana Azad Mad-your amendment, Mr. Malaviya?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVI-YA (Uttar Pradesh) : No.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I am putting the amendment moved by Shri Satya Prakash Malaviya for reference of the Bill to a Select Committee of the Rajya Sabha, to vote.

The amendment was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I shall now put the motion moved by Shrimati Mohsina kidwai to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi Rent Control Act, 1958, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI); We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

We shall now take up cause 2. There are six amendments.

Clause 2-Ameddment of section 3

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Chowdhary Ram Sewak, are you moving?

CHOWDHARY RAM SEWAK: Sir, I am not moving.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Saidar Jagjit Singh Aurora, are you moving your amendment?

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: If she is going to consider my amendment, I will not move.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): Mr. Maulaa Asad Madni, are you moving your amendment?

ं श्री (मौलाना) श्रसद मदनीः यह तो निहायत जरूरतरी श्रमेंडमेंट है।

उपसभाश्यक्ष (श्री जगेश वेसाई: वह उन्होंने समझ निया है।

भी (मौलना) ग्रसद मदनी: मुझे नहीं मालूम क्या ममझा और क्या नहीं समझा। मेरा...

जपाभाध्यक्ष (श्रीजगेश देसाई) : भ्राप ग्रमेंडमेंट मूत कर रहे है ?

भी (मौलाना) श्रसद मदनी: मैं तो सम-क्षाना चाहना हुं ताकि वे समझ लें।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश वेसाई) : वह तो आपने बता दिया।

ंडा (श्रीमती नाजना हेपतुल्ला : विदड़ा तो करेंगे ही, रीजन बता रहे हैं श्री (मौलाना) श्रसद मदनी: मैं चाहता हूं कि इस बात को बता तो दूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): यह नहीं कह सकते।

श्री (मौलाना) ग्रसद मदनी : ग्रपने ग्रमेंडमेंट के बारे में बता नहीं सकता हम इसको देखें कि क्या बात है।

ु उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): उन्होंने श्रापकी बात को समझ लिया है और भविष्य में श्रगर मौका श्रायेगा तो उस समय वे देखेंगी।

श्री (मौलाना) असद मदनो : देखने की बत नहीं हैं इस को अत्य समझ लें और हाउस को भी मालूम हो जायेगा। मुझे इस पर कहने का मौका दिया जाय।

् उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : यह नहीं हो सकता है। 2465 RSS/88—24

garage in the state

श्री (मौलाना) श्रसद मदनी : मौका नहीं मिलेगा बात साफ करने का भी ।

उपसभाष्यक्ष (श्री जगेश वेसाई): आप मूव नहीं करते । स्राप पहले मूव कीजिये ।

भी (मौलाना) ग्रसद मदनी : महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करना हूं:---

6"पृष्ठ 2 पर, पक्ति 4 के पश्चात निम्नलिखित ग्रन्तःस्थापित किया जाये, ग्रथित्:---

ैं "(गग) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र मैं किसी ऐसी वक्फ सम्पति को,"

ूर्ं उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : ग्रव जो ग्रापको कहना है कहिये।

श्री (मौलाना) असद मदनी: ग्रसल कि म्राजादी के बाद बात यह है म्हक की तक्सीम के नतीजे में दिल्ली में अनराफ और औकाफ का करोड़ों श्ररवों रुपये का नुकमान हुन्ना है। बड़ी बरबादी हुई है। औकाफ की हालत ग्राज 🖟भी इस कदर खराब है कि नाजायज ूकको हैं मुकदभात हैं और उनकी कोई देखभाल नहीं हो पाती है। खुद वक्फ बोर्ड जिन्दगी और मौत की हालत में पड़ा रहता है और जो उसके पब्लिक के फायदे के काम हैं वह कोई नहीं हो पाते हैं। ऐसी सूरत में रेट कंट्रोल की वजह से बहे-बहे औकाफ़ नाजायज कब्जों और मजबूरियों की वजह से मार्किट रेंट के मकावले में वन परसेंट भी नहीं है इतने मामुली किराये हैं। ऐसी सुरत में उसका एक्जेम्पश्न मिलना और उनका (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : मन्त्री जा समझ गये हैं, समझदार हैं।

श्री (मौसाना) ग्रसक मदनी साप बात तो पूरी करने दें (व्यवधान) चेयरमैंन माहब बात भी नहीं कहने देते।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश वेसाई) : श्रापकी बात में भी समझ गया हू और वे भी समझ गये हैं।

श्री (मौलाना) असद मदनी: मुश्किल यह है कि मैंने समझया ही नहीं और वे बात समझ गये ।

श्रीमती मोहसिना किवबई : मैंने उनकी बात सुन ली है और मोचेंगे कि इसके बारे में क्या करना है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Are you withdrawing the amendment?

SHRI (MAULANA) ASAD MAD-NI : Yes.

The amendment (No. 6) was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I shall now put clause 2 to vote.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill

Clauses 3 to 8 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): We now take up clause 9. There are amendments by Chondhaiy Ram Sewak, Shrimati Pratibha Singa, Dr. (Shrimati) Najma Heptulla, Shri Jaswant Singh and the Minister.

Clause 9: Insertion of new Sections 14B and 14C.

भौमती प्रतिमा सिंह : मन्ता जी ने स्वयं जो संशोधन रखे हैं उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं और ग्रंपना मंशोधन विदृश करती हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): Shrimati Najma Heptulla. Are you withdrawing?

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEP1UL-LA: Naturally, I am withdrawing. But I would like it to be brought on record that we bother about it.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI
Sir, I move :

- 8. That at page 4, after line 10, the following be inserted, namely:—
- "14C.(1) Where the landlord is a retired employee of the Central Government or of the Delhi Administration, and the premises let out by him are required for his own residence, such employee may, within one year from the date of his retirement or within a period of one year from the date of commencement of the Delhi Rent Control (Amendment) Act, 1988, which ever is later, apply to the Controller for recovering the immediate possession of such premises."
 - That at page 4, line 11, for the figure, letter and bracket "14C(I)" the figure and bracket "(2)" be substituted.
 - 10. That at page 4, line 17, the words "let out by him" be deleted.
 - 11. That at page 4, line 18, after the word, bracket and figure "sub-section (1)" the words, bracket and figure "or sub-section (2)" be inserted.
 - 12. That at page 4, after line 21, the following be inserted, namely:
 - "14D. (1) Where the landlord is a widow and the premises let out by

373

her, or by her husband, are required by her for her own residence, she may apply to the controller for recovering the immediate possession of such premises.

(2) Where the landlord referred to in sub-section (1) has let out more than one premises, it shall be open to her to make an application under that sub-section in respect of any one of the premises chosen by them."

The question was put and the motions was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAL: The question is:

The clause 9, as amended, was added to the Bill.

The motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

Clause 10: Amendment of Section 19

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Sir. I move :

16. "That at page 4, line 24, after the figure and letter "14C" the figure and letter "14D" be inserted,"

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): The question is:

That clause 10, as amended. stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

· Chauses 11 and 12 were added to the Rill.

Clause 13: Amendment of Section 25B SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Sir, I move:

(Amdt.) Bill, 1988

17. "That at page 4, line 38, after the figure and letter "14C", the words, figure and letter "or under section 14D" be inserted.

The question was put and the motions were adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI). The question is:

That Clause 13, as amended, stand part of the Bill.

The Motion was adopted.

Clause 13, as amended, was added to the Bill.

Clauses 14 to 17 were added to Bitl.

Clause 18: Amendment of Section 48.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Sir. I move-

19. "That at page 5, line 21, words, figures and letters "or sections 14A, 14B or 14C" be deleted."

The question was put and the motion was adopted,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAG-ESH DESAI): The question is:

That Clause 18,, as amended, part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 18, as amended, was added as the Bill.

Clause 19: Amendment of Section 49. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI Sir, I move:

20. "That at page 5, line 24, for the words, bracket and figures "In sub-section (3) of section 49 of the Principal Act," the words and figure "in section 49 of the Principal Act," be substitute ed."

- 21. That at page 5, after line 27, the following be inserted, namely:—
 - "(b) for the words and figures "section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1898", the words and figures "section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973" shall be substituted."
 - 22. "That at page 5, line 28, for the bracket and letter "(b)" the bracket and letter "(c)" be substituted."

The questions were put and the motions were adopted.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI JAG-ESH DESAI): The question is—

*That Clause 19, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

*Clause 19, as amended, was added to the Bill.

*Clause 20 was added to the Bill.

Clause 1: Short title and Commence-ment.

SHRI JASWANT SINGH : Sir, move—

- 2. That at page 1, for lines 5-6, the following be substituted, namely:—
 - "(2) It shall come into force at once,"

Mr. Vice-Chairman, despite the hono urable Minister's assurance about gazette notification making this effective, I would like to share with her, through you, the totally unacceptable aspect of the executive, exercising a veto on the legislative will. To find out precedents of enactments of Parliament which the executive, by non-issuance of gazette notifications, has held up, I referred one week ago to the Reference Section of the Library to give me information as to how many Bills, how many Act as, have been enacted by Parliament, because if gazette netification

has not been issued, the legislative will is being defeated by an executive veto. Here is the reply from the Reference Section which they could give me:

"As regards Central Acts no information is available either in the records of the Lok Sabha Secretariat or with the Ministry of Law, Legislative Department. The Legislative Department have, however, stated that such an information is not collected by them in a consolidated form as the enforcement of a law is the concern of the individual Ministry to whom the subject-matter of the law pertains."

I pursued this matter further and two examples are given to me: The Hire Purchase Act of 1972 and the Wakf Amendment Act of 1984. These two pieces of enactment by Parliament are pending because the necessary gazette notification has not been issued. I do not, for a moment, disbelieve the nonourable Minister's statement that she has every intention of bringing this piece of legislation force; I would nevertheless draw her atexisting an anomaly. to tention That is why I am moving this amenda specific assurance ment and I want from the honourable Minister to the effect that as soon as the Presidential assent is given, this will become an Act and that the Parliament's will will not be defeated by an executive veto.

The question was proposed

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): He is right. What he says is rght. So, if you can give an assurance, that will be all right.

श्रीमती मोहीसना किदबई: मैने तो पहले ही एशोरेंस दिया है कि इसको देखेंगे और यह तो श्रमेंडमेंट्स हैं। इसकी नोटिफिकेशन ने नयों परेशानी होगी।

उपासभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): उनका कहना तो यह है कि: ... (स्यवधान)

श्री जसवंत सिंह. ग्रापने खुद फरमाया है कि अर्नेडमेंट भी तभी लागू होंगे जब गजरनोटिफिकेशन होगी। मेरी गुजारिश यह है कि (स्यवधान)

श्रीमती मोहिसना किववई: मेरी पुरी कोशिश होगी कि श्रापने जो मिसालें दी है, उस मिसाल में यह न श्राए।

श्री जसंबत सिह: में जानता हूं कि श्राप पर कई तरह के दबाव ग्रायेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The anxiety of the House is there and the anxiety is that immediately after it is passed, it should become operational. That is the anxiety.

श्रीमती मोहिसना किंदबाई ंजो मैंने कहा है कि नोटिफिकेशन के बाद ही यह लागू हो सकेगा उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि नोटिफिकेशन जल्दी हो।

THE VICE-CHARMAN (SIIRI JAGESH DESAI): It should be done immediately. Now, has Mr. Jaswant Singh the leave of the House to withdraw his amendment?

The amendment (No. 2) was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Ram Sewak, are you moving your amendment?

CHOWDHARY RAM SEWAK : No, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now, I shall put clause 1 to vote.

The question is:

"That clause 1 stand Part of the Bill,"

The motion was adopted.

Clause I was added to the Bill

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed".

The question was put and the motion was adopted.

The Vice-Chairman (Shri Satya Prakash Malviya) in the Chair,

Aircraft (Amendment) Bill, 1988

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Now, we shall take up the Aircraft (Amendment) Bill, 1988. Yes, Mr. Shivraj Patil.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA):
Order, order, please. Yes, Mr. Minister.

SHRI SHIVRAJ PATIL: Sir, this is a very simple amending Bill. It proposes to make the offence congnizable. Now the offence is not cognizable. It proposes to enhance the punishment from three months to one year and the tine from one thousand rupees to two thousand rupees. This punishment will be imposed on those persons who would commit the offence within a radius of 10 km. from the airport.

Now, Sir, this is a very very simple amending Bill. The purpose of making this amendment is to see that the law